Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 04 30 अप्रैल, 2021 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

पुलिस सुधार, समय की जरूरत

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

स्वतंत्र भारत में सात दशक के बाद भी राष्ट्र की पुलिस व्यवस्था व सुरक्षा सेवायें ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये कानून – पुलिस अधिनियम 1861 तथा दूसरे पुलिस गाईड लाईन/रूल 1857, 1937 के तहत संचालित है। वर्ष 2006 में सुप्रिम कोर्ट द्वारा सुप्रसिद्ध प्रकाश सिंह केस में दिये गये निर्णय के अनुसार देश के कुछेक राज्यों ने अपना नया आधा अधूरा पुलिस एक्ट व नियमावली बनाई है लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इन कानूनों में केवल शब्दावली बदली गई है और मूलभूत तौर से पुलिस प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया, आज भी पुलिस कार्यवाही सदैव विवादो में रहती है। मुख्यतः पुलिस अधिकारियों के राजनैतिक संरक्षण व पुलिस के काम में राजनैतिक/अफसर शाही दखलअंदाजी के कारण पुलिस की छवि लगातार खराब हो रही है। पुलिस राजनीतिज्ञो व राजनैतिक बदमाशों की मिलिभगत भी लगभग 60–70 प्रतिशत मामलों में आंकी गई है। इसलिय पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, रौब, उगाही, रिश्वत आदि जैसे शब्द दिमाग में कौंध जाते हैं। जिस पुलिस को आम आदमी का दोस्त होना चाहिये, वही आम आदमी पुलिस का नाम सुनते ही सिहर जाता है और यथासंभव पुलिस के चक्कर में न पड़ने का प्रयास करता है। इसलिये शायद भारतीय समाज में यह कहावत प्रचलित है कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी।

इसी प्रकार से सुरक्षा सेनाओं तथा अर्द्धसैनिक बलों की कारगुजारी में भी शासक दलों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है जिससे मानव अधिकारों व कायदे कानूनों की अवहेलना सरेआम हो रही हैं। पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल में चुनावी ड्यूटी दे रहे सुरक्षा बलों पर वोटरों को प्रभावित करने तथा बेवजह पीटने के आरोप लगे है और उग्र भीड़ को काबू करने के लिये की गई फायरिंग में चार निर्दोष व्यक्ति मारे गये। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक व पुलिस संरक्षण में उभरे कुख्यात अपराधी विकास दुबे का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना भी विवादों से घिरा है। पंजाब के कोटकपुरा गोलीकांड में भी राजनेताओं, पुलिस, अपराधियों तथा केस की कानूनी पैरवी हेतु नियुक्त वकीलों का गठजोड़ उजागर हो रहा है जिससे स्पैशल इन्वैस्टीगेशन टीम के चीफ पुलिस अधिकारी को जांच टीम से इस्तीफा देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति लेनी पड़ी। छतीसगढ़ के माओवादी हमले में नक्सलीयों द्वारा 22 सुरक्षा सैनिकों की हत्या भी उच्च स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था व खुफिया तंत्र की अक्षमता को दर्शाती है।

पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिये विभिन्न समितियों व विशेषज्ञों के सुझावों/निर्देशों के बावजूद पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली में अफसर शाही व भ्रष्ट राजनेताओं का दखल बिना किसी रोक–टोक के बना हुआ है जिस कारण पुलिस की ढीली व कमजोर कानूनी जांच व्यवस्था के कारण न्यायिक व्यवस्था भी पीड़ित को न्याय उपलब्ध करवाने में बौनी साबित हो रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बाजे प्रकरण में अपराधी–पुलिस–राजनैतिक गठजोड़ पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है जो कि एक महान लोकतंत्र की न्यायिक पुलिस तंत्र के खोखलेपन के इलावा आम आदमी की सुरक्षा के लिये चुनौतीपूर्ण है। इस प्रकरण से यह साबित होता है कि पुलिस तंत्र भ्रष्ट राजनीति के अधीन कार्य करने पर मजबूर है इसलिये एक भ्रष्ट व अपराधिक दरोगा जो वसूली किंग के साथ साथ 63 लोगों का सीरियल कीलर होने के कारण 17 साल से बर्खास्त होने के बावजूद बहाल कर दिया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व पुलिस कमीश्नर के सरक्षंण से पूर्व के बेहतरहीन कार्य के लिये नियुक्त कर दिया गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के एक ईमानदार आई.पी.एस. अधिकारी को संवैधानिक कर्तव्यों की पालना के कारण जबरी रिटायरमैंट के ईनाम से नवाजा जाता है। प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के 15 साल पुराने फैसले के बावजूद कोई भी सरकार पुलिस पर राजनैतिक नियंत्रण खत्म नहीं करना चाहती। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की 230 वीं रिपोर्ट के पैरा 2.3.14 में स्पष्ट वर्णित है कि गलत एफ.आई.आर. या कानून का गलत दुरूपयोग करने वाले दोषी पुलिस अधिकारी के विरूध अपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए और इसकी अगस्त 2018 में 277 वीं रिपोर्ट के तहत विस्तार से अनुशंसा की गई है लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है।

सी.बी.आई. बनाम किशोर सिंह केश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट व्याख्या की थी कि कानून की रक्षक पुलिस यदि भक्षक बन जाये तो उन्हें सामान्य अपराधियों से ज्यादा दंड मिलना चाहिए। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम आजतक नहीं उठाए गए। पुलिस सुधारों को लेकर 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित आयोग को राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को आठ रिपोर्टें सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर भी अमल नहीं किया गया। आयोग का कहना था कि हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। जाँच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए। इसके साथ ही पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिये एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए। पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए और एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए।

इसके अलावा 1997 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने देश के सभी राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

के प्रशासकों को पत्र लिखकर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिये कुछ सिफारिशें की थी। इसके बाद 1998 में महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी जे.एफ. रिबैरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया। वर्ष 2000 में गठित पद्मनाभैया समिति ने भी केंद्र सरकार को सुधारों से संबंधित सिफारिशें सौंपी थीं। देश में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जाँच के लिये गठित शाह आयोग ने भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये पुलिस को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात कही थी। इसके अलावा राज्य स्तर पर गठित कई पुलिस आयोगों तथा समितियों ने राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने की भी सिफारिश की थी। लेकिन नतीजा जस–का–तस रहा।

इसके अलावा, सोली सोराबजी समिति ने वर्ष 2006 में मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2005 को विधि विशेषज्ञ सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने 30 अक्तूबर 2006 को मॉडल पुलिस एक्ट, 2006 का प्रारूप केंद्र सरकार को सौंपा। आज भी बहुत से राज्यों में स्वोच्च न्यायलय द्वारा वर्ष 2006 में दिये गये निदेर्शों व निर्णय की लगातार अनदेखी की जा रही है।

राज्य बलों में डीजीपी और दूसरे मुख्य पुलिस अधिकारियों (जैसे पुलिस स्टेशन और जिले के ऑफिसर–इन–चार्ज), और केंद्रीय बलों के चीफ के लिए कम से कम दो वर्षों की न्यूनतम कार्य अवधि निर्धारित की है ताकि उन्हें मनमाने स्थानांतरणों और तैनातियों से बचाया जा सके। लेकिन राजनेताओं द्वारा अपने निहित हितों के लिये पुलिस प्रमुखों की अवधि को 2 साल से आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। पुलिस प्रमुखों के चयन भी निष्पक्षता से नही हो पाते है। यूपीएससी को पुलिस प्रमुख के चयन के लिये पैनल में जो नाम भेजे जाते हैं उनमें भी वरिष्ठता व योग्यता को नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस कम्पलैंट अथॉरटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किया जाता है।

पुलिस बल में निचले स्तर से अधिकारी तक के चयन हेतु किसी भी मनोवैज्ञानिक अथवा योग्यता टैस्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। आई.पी.एस. स्तर के अधिकारी के लिये भी मनोविज्ञान विशेषज्ञ की सेवायें नहीं ली जाती। जबकि सुरक्षा सेनाओं में अधिकारियों के चयन के लिये गठित एस.एस. बोर्ड में एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल किया जाता है।

आज भी पुलिस थानों में गंभीर व तकनीकी तौर से अपराधिक मामलों में जोर जबरदस्ती व डण्डे की तकनीक अपनाई जाती है और अपराधी/दोषी को गैर कानूनी तौर से पुलिस थानो से बाहर रखा जाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई जाती है और बाहरी दबाव के कारण तकनीक व उचित जांच की बजाये दबाव की नीति अपनाई जाती है। अपराधी से बरामद माल की रिकवरी कहीं होती है और मनमाफिक तरीके से बरामदी कहीं और दिखाई जाती है और वह भी बहुत कम मात्रा में दर्ज की जाती है। इस प्रकार की दबावपूर्ण जांच से वास्तविक अपराधी सजा से बच जाता है और निर्दोष को पुलिस दबाव से दोषी करार दिया जाता है। विशेषकर हाई प्रोफाईल मामलो में राजनैतिक व बाहरी प्रभाव के कारण दबाव अधीन जांच के तहत मामले के स्वरूप को बदला दिया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा गंभीर दुर्व्यवहार और शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए राज्य और जिला स्तरों पर पुलिस शिकायत अथॉरिटीज का गठन किया जाए।

कानून और व्यवस्था बहाल रखने वाली पुलिस से जांच करने वाली पुलिस को अलग किया जाए जिससे त्वरित जांच, बेहतर विशेषज्ञता और जनता के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित किए जा सकें, लेकिन अभी तक बहुत से राज्यों में कानून व्यवस्था व पुलिस अनुसंधान केन्द्र अलग–अलग गठित नहीं किये गये।

देश में विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों में संख्या बल की भारी कमी है और औसतन 732 व्यक्तियों पर एक पुलिस कर्मी की व्यवस्था है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने हर 450 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी की सिफारिश की है। वर्तमान में कार्य निर्वहन के दौरान पुलिस के सामने अनेक समस्याएँ आती हैं। पुलिस बल के काम करने की परिस्थितियाँ, पुलिसकर्मियों की मानसिक स्थिति, पुलिसकर्मियों पर काम का अतिरिक्त दबाव, पुलिस की नौकरी से जुड़े अन्य मानवीय पक्ष और पुलिस पर पड़ने वाला राजनीतिक दबाव ऐसी समस्याएं हैं जिनके निवारण के बिना पुलिस सुधारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पुलिस के महत्त्व को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद् अम्ब्रेला योजना' को 2017–18 से 2019–20 के लिये स्वीकृत किया था। इस योजना के लिये तीन वर्ष की अवधि हेतु 25,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 18636 करोड़ रुपए केंद्र सरकार तथा 6424 करोड़ रुपए राज्यों द्वारा दिये गए लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर कैसा होगा यह देखने में अभी समय लगेगा।

राज्य पुलिस बलों में 86 प्रतिशत कॉन्स्टेबल हैं। अपने सेवा काल में कॉन्स्टेबलों की आम तौर पर एक बार पदोन्नति होती है और सामान्यतः वे हेड कॉन्स्टेबल के पद पर ही रिटायर होते हैं। इससे वे अच्छा प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित नहीं हो पाते। पिछले दशक (2005–2015) में प्रति एक लाख जनसंख्या

पर अपराध दर में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि अपराध साबित होने की दर कम है। 2015 में भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत पंजीकृत 47 प्रतिशत मामलों में अपराध साबित हुए थे। विधि आयोग ने गौर किया है कि इसके पीछे एक मुख्य कारण अच्छी तरह से जांच न होना है।

राज्य पुलिस पर कानून एवं व्यवस्था तथा अपराधों की जांच करने की जिम्मेदारी होती है, जबकि केंद्रीय बल खुफिया और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों (जैसे उग्रवाद) में उनकी सहायता करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बजट का 3 प्रतिशत हिस्सा पुलिस पर खर्च होता है। इस संबंध में अगर आंकडों की बात की जाए तो जनवरी 2016 में राज्य पुलिस बलों में 24 प्रतिशत (लगभग 5.5 लाख) रिक्तियां थीं। हालांकि 2016 में हर एक लाख व्यक्ति पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 181 थी, उनकी वास्तविक संख्या 137 थी। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार एक लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए।

इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार राष्ट्र भर में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या पुरूषों के मुकाबले बहुत कम है। आंकड़ों के अनुसार हर 10 पुलिस कर्मचारियों में मात्र एक महिला पुलिसकर्मी है और 100 अधिकारियों में मात्र सात महिला अधिकारी है। थानों में महिला शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। राष्ट्र में लगातार बढ़ रहे महिला विरूध अपराधों के दौर में देश भर में महिला पुलिसबल की उपस्थिति महज 7. 28 प्रतिशत है और नकसलवाद प्रभावित तेलगांना में केवल 2. 47 प्रतिशत है। लगातार बढ़ रहे महिला विरूध अपराधों की रोकथाम व महिला सुरक्षा हेतु उचित माहौल के लिये महिला पुलिस बल की संख्या 50 प्रतिशत सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि विधान सभाओं व पंचायती राज संस्थाओं में भी कई राज्यों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 33 प्रतिशत की जा रही है। इस प्रकार राजनैतिक व्यवस्था व पुलिस बल में प्रर्याप्त महिला शक्ति से ही महिला विरूध अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

कैग के ऑडिट में राज्य पुलिस बलों में हथियारों की कमी पाई गई है। जैसे राजस्थान और पश्चिम बंगाल के पुलिस बलों में अपेक्षित हथियारों में क्रमशः 75 प्रतिशत और 71 प्रतिशत की कमी है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने यह टिप्पणी भी की है कि राज्य पुलिस बलों के अपेक्षित वाहनों (2,35,339 वाहनों) के स्टॉक में 30.5 प्रतिशत स्टॉक का अभाव है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए दिए जाने वाले फंड्स का आम तौर पर पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए 2015–16 में केवल 14 प्रतिशत फंड्स का राज्यों द्वारा उपयोग किया गया था।

आधुनिक एवं तकनीकी हथियारों के संबंध में कैग ने पाया है कि अनेक राज्य पुलिस बलों के पास आउटडेटेड हथियार हैं, और हथियारों की खरीद की प्रक्रिया बहुत धीमी है जिसकी वजह से हथियार एवं गोलाबारूद की कमी है। राजस्थान पुलिस बल के ऑडिट (2009 से 2014) का निष्कर्ष कहता है कि राज्य की अपनी विनिर्दिष्ट आवश्यकता की तुलना में आधुनिक हथियारों की उपलब्धता में 75 प्रतिशत की कमी है। इस ऑडिट में यह भी पाया गया था कि खरीद के बावजूद हथियारों का बड़ा अनुपात (59 प्रतिशत) व्यर्थ पड़ा रहता है क्योंकि उसे पुलिस स्टेशनों में बांटा ही नहीं जाता। पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी ऐसे ही ऑडिट में यह पाया गया कि वहां भी हथियारों में क्रमशः 71 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की कमी है।

पुलिस वाहनों के संबंध में किए गए ऑडिट्स में यह टिप्पणी की गई कि पुलिस वाहनों की सप्लाई में कमियां हैं। अक्सर नए वाहनों को पुराने वाहनों की जगह लाया जाता है, और ड्राइवरों की कमी है। इससे पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती और उसकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। जनवरी 2015 तक राज्य पुलिस बलों में कुल 1,63,946 वाहन थे। इस प्रकार वाहनों की अपेक्षित संख्या (2,35,339 वाहन) के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 30.5 प्रतिशत की कमी दिखाई देती है।

पुलिस टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क (पोलनेट) 2002 में पोलनेट प्रॉजेक्ट की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी ताकि देश के पुलिस और अर्धसैनिक बलों को सेटेलाइट कम्यूनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा सके जोकि रेडियो कम्यूनिकेशन की मौजूदा प्रणाली से काफी तेज होगा। हालांकि ऑडिट में पाया गया कि पोलनेट कई राज्यों में काम नहीं करता। उदाहरण के लिए गुजरात पुलिस के एक ऑडिट में कहा गया है कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिमोट सबस्क्राइबर यूनिट्स और जनरेटर सेट्स के न होने की वजह से अक्टूबर 2015 से नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ऑडिट में यह भी कहा गया कि इन उपकरणों को चलाने के लिए जरूरी रेडियो ऑपरेटर और टेक्नीशियन जैसे कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षित कर्मचारियों के 40 से 50 प्रतिशत पद खाली हैं।

पुलिस और जनता के संबंध पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना कोई सुधार संभव ही नहीं है। अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को आम जनता के विश्वास, सहयोग और समर्थन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए किसी भी अपराध की जांच के लिए पुलिसकर्मियों को इनफॉर्मर और गवाहों के रूप में आम जनता के भरोसे रहना पड़ता है। इसलिए प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस और जनता के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने टिप्पणी की थी कि पुलिस और जनता के बीच का संबंध

असंतोषजनक स्थिति में है क्योंकि जनता पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम, राजनैतिक स्तर पर पक्षपातपूर्ण और गैर जिम्मेदार समझती है।

इस चुनौती से निपटने का एक तरीका कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल है। कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पुलिस को अपराध को रोकने और उसका पता लगाने, व्यवस्था बहाल करने और स्थानीय संघर्षों को हल करने के लिए समुदाय के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि लोगों को बेहतर जीवन प्राप्त हो और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो। इसमें सामान्य स्थितियों में आम लोगों के साथ संवाद कायम करने के लिए पुलिस द्वारा गश्त लगाना, आपराधिक मामलों के अतिरिक्त दूसरे मामलों में पुलिस सेवा के अनुरोध पर कार्रवाई करना, समुदाय में अपराधों को रोकने का प्रयास करना और समुदाय से जमीनी स्तर पर प्रतिक्रियाएं हासिल करने के लिए व्यवस्था कायम करना शामिल है। विभिन्न राज्य कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे केरल (जनमैत्री सुरक्षा प्रॉजेक्ट), राजस्थान (ज्वाइंट पेट्रोलिंग कमेटीज), असम (मीरा पैबी), तमिलनाडु (फ्रेंड्स ऑफ पुलिस), पश्चिम बंगाल (कम्युनिटी पुलिसिंग प्रॉजेक्ट), आंध्र प्रदेश (मैत्री) और महाराष्ट्र (मोहल्ला कमेटीज) आदि। इसके बाजवूद पुलिस सुधारों की गति बहुत धीमी है और जरूरत है इसको तेज करने की ताकि पुलिस और जनता दोनों एक दूसरे के काम से ही संतुष्ट ना हों बल्कि पुलिस को देखकर जनता के बीच एक सुरक्षा की भावना भी पनपे। पुलिस भर्ती प्रक्रिया और पुलिस प्रशिक्षण में अत्याधिक सुधार लाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही संवेदनशील मामलो में जांच की गोपनीयता अत्यन्त जरूरी है। केबल टेलिविजन नैटवर्क अधिनियम 1995 में स्पष्ट है कि किसी प्रकरण में शिकायतकर्ता, एफ.आई.आर. की जानकारी, साक्षी व आरोपी का साक्षात्कार आदि मीडिया द्वारा सार्वजनिक/प्रसारित करने से अनुसंधान/ट्रायल की गोपनीयता को प्रभावित करता है लेकिन आपसी गठजोड़ के कारण हाई प्रोफाईल मामलों को जांच पूर्व ही मीडिया में उछाल दिया जाता है जिस कारण पीड़ित को न्याय मिलना कठिन हो जाता है।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ व पंचकुला

चौधरी छोटूराम जी की सोच व संघर्ष.....

– संदीप कुमार खटकड़

थोड़ा समय निकाल कर जरूर पढ़ें क्यों में चौ० साहब को किसान कमेरे का राम कहता हूं।।

1. औरतों पर अत्याचार बंद करें....

चौधरी **छोटूराम ने** औरतों पर अत्याचार बंद करवाने के लिए जेण्डर इक्विटी एक्ट–1942 बनाकर उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाए। पंचायती राज स्थापित कर औरतों को 50 प्रतिशत सीटों पर भागीदारी दी। विधानसभा में 20 प्रतिशत सीटें प्रथम बार 1943 के चुनाव में तथा पांच वर्ष बाद 50 प्रतिशत सीटें देने का प्रावधान किया। औरतों को शिक्षित करने के लिए नारी शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पास कराया। परन्तु यह काम इसलिए अधूरे रह गए, क्योंकि चौधरी छोटूराम का देहान्त 1945 में ही हो गया। और विरला समाज सुधारक इस दुनिया से विदा हो गया।

2. मुलतान जिले (हाल पाकिस्तान) में दलितों को कृषि भूमि देना

दीनबंधू सर छोटूराम का दीनबन्धू नामकरण दलितों द्वारा किया गया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि दलित शब्द समाप्त करना जरूरी है नहीं तो शोषित वर्ग समाज में बराबरी पर नहीं आ सकता। 13 अप्रैल 1938 को जब ये कृषि मंत्री थे तब भूमिहीन दलितों को खाली पड़ी सरकारी कृषि भूमि 4 लाख 54 हजार 625 एकड़ (किले) जो मुलतान जिले में थी भूमिहीन दलितों को रुपये 3/–(तीन) प्रति एकड़ जो 12 वर्षों में बिना ब्याज, प्रतिवर्ष चार आने किश्तों पर चुकाने की शर्तों सहित अलॉट कर दलितों को भू–स्वामी बनाया। दलितों ने सर छोटूराम को दीनबन्धू का नाम देकर इन्हें हाथी पर चढ़ा कर ढोल–नगाड़ों से जुलूस निकालकर जलसा किया। ऐसे पड़ा था इनका नाम दीनबन्धू।

3. छुआछूत बुराई कानून.....

राज्य में 1 जुलाई 1940 को सर छोटूराम ने यह कानून बनाकर सख्ती से लागू कर दलित शब्द मिटाने का वचन निभाया। एक सरकुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार सारे पब्लिक कुएं सारी जातियों के लिए खोल दिए गए। इससे दलितों को इंसानी हकूक कानूनी तौर पर मिल गए, जिससे वह सदियों से रिवाज और जाति–पाति के चक्करों से वंचित कर दिए गए थे। जमींदारा पार्टी का यह फैसला लागू होने पर मोठ गांव में स्वर्णों ने दलितों को कुओं पर चढने से रोकने पर खुद चौ. छोटूराम ने वहां जाकर समझा कर दलितों को कुएं पर चढ़ाकर पानी भरवाकर घड़े दलित महिलाओं के सिर पर चकवाकर उनका सम्मान बढ़ाया।

इसके अतिरिक्त सरकारी हुक्म जारी कर दिए कि कोई ऑफिसर किसी दलित या पिछड़ी जाति के आदमी से किसी प्रकार की बेगार नहीं लेगा। सरकारी दौरे पर दलित से अपना सामान नहीं उठवाएगा। हिदायत दी कि बेगार लेना कानूनी जुर्म है। इन्सान की बेकदरी है।

4. मुस्लिम समाज से भाईचारा.....

सर छोटूराम ने नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी वर्ष 1923 में बनाई, परन्तु सर फजले हुसैन जिन्होंने इंग्लैण्ड से वकालत की थी को इसका अध्यक्ष बनाया। जब जमींदारा पार्टी वर्ष 1935 में सत्ता में आई तब सर सिकन्दर हयात खां एक मुस्लिम को वजीरे आला (मुख्यमंत्री) बनाया। सर सिकन्दर हयात खां लन्दन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स से पढ़े विद्वान थे जो उस समय रिजर्व बैंक – दिल्ली में इसके गवर्नर थे। फिर उनके बेटे खिजर हयात को बनाया । सन् 1945 में चौधरी छोटूराम के देहान्त के बाद सर खीजर हयात खां को इतना सदमा लगा कि वह देश छोड़कर इंग्लैण्ड यह कहते हुए चला गया कि जब चाचा ही नहीं रहे तो अब शासन किसके सहारे करूंगा।

5. राजपुताना में कुम्हारों पर लगी चाक लाग को समाप्त कराया.....

दीनबन्धु सर छोटूराम ने राजपुताने के राजाओं तथा ठिकानेदारों द्वारा कुम्हारों के घड़े व मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने पर चाक लाग लगा रखी थी जो रुपये 5/– वार्षिक अदा करनी पड़ती थी। राजाओं का कहना था कि जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन व घड़े बनाकर बेचते हैं वह मिट्टी राजाओं की जमीन की है, इसलिए यह लाग देनी पड़ेगी। सर छोटूराम ने 5 जुलाई 1941 को बीकानेर में कुम्हारों को इक्ट्ठा कर महाराजा गंगासिंह से बातचीत कर इन्हें इस चाक लाग से मुक्ति दिलाई। कुम्हारों ने खुश होकर सर छोटूराम को एक सुन्दर सुराही जिसमें पानी ठण्डा रहता हैं भेंटकर सम्मान किया। सर छोटूराम ने मरते दम तक वह सुराही अपने पास रखी।

6. कतरन लाग से नाइयों तथा नायकों को मुक्ति.....

नायक तथा बावरी जातियां भेड़–बकरियां पालती थी। भेड़–बकरियों के बाल तथा ऊन कतरने पर ठिकानों ने कतरन लाग लगा रखी थी। इसी प्रकार नाइयों द्वारा बाल काटने का धन्धा करने पर इस कतरन लाग का भुगतान करना पड़ता था। सर छोटूराम ने 26 जुलाई 1941 को मारवाड़ के गांव रतनकुडिया तथा पहाड़सर में भेड़–बकरी पालकों को इक्ट्ठा कर कतरन लाग के विरूद्ध प्रदर्शन कर इस कतरन लाग से इन्हें मुक्ति दिलाई।

7. बुनकर लाग का उन्मूलन कर बुनकरों को राहत.....

बुनकर जो अधिकतर जुलाहे मेघवाल समाज से होते थे जो डेवटी की रजाई का कपड़ा, खेस, चादर तथा मोटा कपड़ा रोजी रोटी कमाने के लिए बुनकर बेचते थे। सूत गृहणियां कातकर उन्हें देती थी और वे उस सूत से उनकी इच्छानुसार वस्तुएं बुनकर दे देते थे। शेखावाटी तथा मारवाड़ और विशेषतौर पर जयपुर, पाली तथा बालोतरा में यह काम जोरों पर था। ठिकानेदारों ने इस काम पर बुनकर लाग रखा रखी थी। जिसका विरोध 4 वर्षों तक सन् 1937 से 1941 तक सर छोटूराम ने अपनी अगुवाई में करके समाप्त कराया। बालोतरा में 9 अगस्त 1941 को ठिकानेदारों ने जुलाहों के घरों को लाग नहीं देने पर आग लगा दी जिससे सारा कपड़ा जल गया। सर छोटूराम वहां गए और 8 दिन भूख हड़ताल की तब जाकर जोधपुर के राजा का सन्देश आया कि यह लाग समाप्त कर दी गई है। सर छोटूराम ने 28 मेघवाल परिवारों को नुकसान की भरपाई के लिए रुपये 1500/– प्रत्येक परिवार को राजा से दिलवाने की मांग पर अड़ गए। तीन दिन बाद राजा ने प्रत्येक परिवार को रुपये 1500/– देने की घोषणा की। ऐसे संघर्ष सर छोटूराम ने मंत्री पद पर रहते हुए किसानों और दलितों की भलाई के लिए किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।

8. जागीरदारी प्रथा–लगान वसूली व बेगारों में निर्दयता..

रियासती काल में ठिकानें जागीरदारों के अधीन थे। जागीरदार उनसे अनेक प्रकार की श्रमसाध्य और जानलेवा बेगारें लेते थे। ये जागीरदार बड़े ही निरंकुश और अत्यन्त मनमानी करने वाले माने जाते थे। जागीरदार की मर्जी ही कानून था। यदि किसान से लगान वसूली नहीं होती तो किसान को पकड़कर ठिकाने के गढ़ या हवेली में लाया जाता और उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, जैसे – काठ में डाल देना, भूखा रखना आदि दण्ड – उपाय, जो एक जघन्य अपराधी के खिलाफ भी प्रयोग में नहीं लिए जाते थे। गरीब किसान के लिए यह अत्यंत लज्जाजनक किन्तु आक्रोश पैदा करने वाली स्थिति थी। इन सजाओं की कोई सीमा न थी, कोई कानून न था, कोई व्यवस्था न थी और कोई विधि–विधान भी न था। खड़ी खेती कटवा लेना, पशु खुलवाकर हांक ले जाना, घर–गृहस्थी के बर्तन, कपड़े लते उठा लेना और किसान की मुश्कें कसवा देना साधारण बात थी। दाढ़ी–मूछें उखाड़ लेना, भूमि से बेदखल कर देना कोई बड़ी बात न थी। किसान तथा उसके परिजनों को गोली का निशाना तक बनाया जाने लगा था। जागीरदार की हवेली में हाथ का पंखा दलितों से खिंचवाया जाता था और थोड़ी चूक करने पर अपशब्द बोले जाते थे।

9. सामाजिक दमन चक्र.....

सामाजिक दमन का चक्र कितना गम्भीर था, इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ पिछड़ी जातियों के लोग वहां के सवर्ण जातियों के लोगों के सामने

चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे। उनके सामने पांचों कपड़े नहीं पहन सकते थे। यह लोग किसी तीर्थ में स्नान भी नहीं कर सकते थे। जागीरदार के घर बेटी पैदाहो गई तो एक मण अनाज की लाग किसान पर थी जिसे बाई जामती की लाग कहते थे और लड़की की शादी होने तक हर साल गाजर, मूली, शकरकन्द की एक क्यारी किसान को देनी पड़ती थी। नाच–गानों का मेहनताना 5 सेर अनाज ढाढ़ी का व 5 सेर भगतण को किसान को ही देना पड़ता था।

किसान की जाति क्या है.....

चौधरी छोटूराम ने कहा था कि किसान की जाति उसकी पार्टी है। आज से जो किसान होगा चाहे वह दलित हो या सवर्ण, अगर वह जमींदारा पार्टी से जुड़ा है तो वह जमींदार कहा जाएगा। वह जमींदारा पार्टी का सच्चा सिपाही और जमींदार होगा।

10. युवा वर्ग व नारियों को उचित प्रतिनिधित्व.....

चौधरी छोटूराम ने युवावर्ग तथा महिलाओं को राजनीति में उचित स्थान दिया। वे कहते थे कि युवावर्ग तथा महिलाओं के बगैर राजनीति सारहीन है। प्रत्येक चुनावी वर्ष में उम्मीदवारों का बदलाव जरूरी है ताकि अन्य उम्मीदवारों को आने का मौका मिले। बार–बार एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार के व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से समाज में आक्रोश पैदा हो जाता है। जिस प्रकार फसलें फेर–बदल कर बोनी चाहिए, राजनीति भी इस सिद्धान्त से अछूती नहीं। योग्य तथा योग्यता के सिद्धान्त के आधार पर उम्मीदवारी तय की जाए। पढ़े–लिखे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए। बदलाव करना नितान्त आवश्यक है।

सर छोटूराम ने उस वक्त यातायात के साधन ना होते हुए भी जगह–जगह घूमकर किसानों में जागृति पैदा की जिसे यह सामाज कभी भूल नहीं सकेगा। आज भी किसानी और किसान को बचाने के लिए युवावर्ग हिचकोले ले रहा है। अगर युवा वर्ग दीनबंधु के दिखाए मार्ग पर ईमानदारी से चले तो अब वह दिन दूर नहीं कि किसान क्रांति आकर रहेगी।

जय योद्धये.....

किसानों पर सोंचें

– सूरजभान दहिया

एक समय साहित्य में वर्ग – संघर्ष की बहुत रचनाये लिखी गई। अब गांवों और शहर के ऐसी ही संघर्ष की बाते सुनकर संतोष हुआ कि चलो हमारा देश दिनदूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रहा हैं क्योंकि यह देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश है इसलिये कृषि के विकास पर सोचने की भला क्या जरूरत है। 2022 तक स्वतः ही किसानों के गांव पुरातत्व सभ्यता के अवशेष दिखाई पड़ रहे हो। अरे होगा कुछ, माथा पच्ची करने से क्या फायदा? घोषणा तो हो गई – अन्नदाता किसान अगले साल अपनी दुगनी आय का लुत्फ उठायेगा – हींग लगी ना फिटकरी, रंग चौखा।

पिछले दिनों शहर में भटकते हुए एक किसान से भेंट हो गई, मैंने पूछा, "भैया तुम्हें पता है कि इनदिनों राजनीति में तुम्हारी बड़ी चर्चा हैं, बड़े–बड़े दिग्गजो का भविष्य तुम्हारे नाम से दांव पर लगा है। बाबू तुम्हारी बाते सुनकर हमे तो डर लगने लगा है, बड़े–बड़े महारथी जब हम मामूली लोगों के विषय में चिंतित हो जाये तो समझो अब खतरा है" किसान यह कह चलता बना।

कोई तात्कालिक राजनीतिक या सामाजिक सोच समाधान दे या न दे पर किसान संवेदना हमेशा सार्थक बनी रहती है। वह इतिहास के उसी काल की, उसी क्षेत्र की ट्रैजेड़ी न रहकर यह हरकाल की ट्रैजेड़ी का परिमाप बन कर देश के सामने खड़ी है। किसान चारमहीने से ऊपर अपनी ट्रैजैड़ी बयान राष्ट्रीय राजधानी की चौखट पर करता आ रहा है। किसान मसीहा कहने वाले रहनुमा की दलील यही है कि हमने किसान समृद्धि हेतु तीन कानून ला दिये। 2022 में किसान खुशहाल हो जायेगा। अर्थशास्त्री असमंजस में हैं कि वह कौनसा आर्थिक मॉडल विकसित हो गया जिसके सहारे किसान की आमदनी दोगुनी होने की बात कहीं जा रही है। हकीकत तो यह है कि कोरोनाकाल में भी किसान ने 3.4 प्रतिशत कृषि विकास दर करके स्वयं वह आर्थिक संकट की चपेट में तीन कृषि कानूनो के तहत आ गया है। यह कैसी विडम्बना कि किसान जो मांग रहा है वह तो दिया नही जा रहा और जो नही मांग रहा वह उस पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या यहीं कल्याणकारी राज्य होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा ही कष्टदायी मौसम हो किसान अपने बूढ़े माँ–बाप, पत्नियों एवं बच्चों समेत दिल्ली द्वार पर नूकिले भालो, कांटेदार तारो एवं अन्य कठिनाईयों सहते हुये सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार उन की वाजिब मांगे स्वीकार करे परन्तु सरकार टस से मस नहीं। परिवर्तन की आहट जब दरवाजे पर दस्तक देती है तो वह गूंज बनकर दूर तक सुनाई देती है। चिरकाल से चल रहे किसान आंदोलन से निकले विद्रोही स्वर भी राजनीतिक वातावरण में बदली भाषा और मुहावरे के साथ सुनाई पड़ रहे हैं। हमे किसान हित एवं

उसके कल्याण के प्रति समर्पित होकर सकारात्मक रूप से सोचना होगा। किसान समृद्धि की बुनियादी सोच क्या होनी चाहिये ? उस सन्दर्भ में हम किसान मसीहा दीनबंधु चौ० छोटूराम की विचारधारा को ले लेते हैं। उन्होंने पंजाब विधानसभा में 1923 में कहा था, "पंजाब के कुल राजस्व के दस रुपयों में से नौ रुपये किसानों से आते हैं जो गांववासी हैं तथा पंजाब की कुछ आबादी का 80 फीसदी भाग कृषि पर निर्भर है इसलिये पंजाब में खुशहाली का बुनियादी आधार यही होगा कि पंजाब के बजट का 80 फीसदी व्यय देहात पर होगा और उन्होंने ऐसा ही किया। बड़ा संघर्ष किया, भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट उन्होंने 1924 में अपने हाथों में लिया था। बड़े–बड़े अवरोध पार करते हुये उन्होंने इसमें 1945 में सफलता मिली। भाखड़ा डैम ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली की काया ही बदल दी। उन्होंने इस से पूर्व पंजाब में कनाल कालोनिया स्थापित की, युवाशक्ति को सेना में भेजा जिससे किसान के घर कृषि विकास हेतु धनराशि प्राप्त हुई, शिक्षा प्रसार का सिलसिला चला एवं उन्होंने किसान को सरकार में भागीदार बनाया जिसके कारण ही किसान बाहुल क्षेत्र में हरित क्रांति का श्री गणेश हुआ। चौ० छोटूराम की 1945 में आकस्मिक मौत किसान समृद्धि को बड़ा झटका दे गई।

दूसरी किसान समर्पित दूरदर्शिता का अनुभव हमें लोहपुरूष सरकार बल्लभ भाई पटेल के निर्णयों से होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को नेहरू जी औद्योगिकरण आधारित बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल की उपस्थिति का असर था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिये 35 प्रतिशत भाग और औद्योगिक क्षेत्र के लिये 15 प्रतिशत राशि भाग आबंटित की गई। सरदार पटेल की असमय मृत्यु ने इस प्राथमिकता में आमूल परिवर्तन कर दिया। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र के लिये 15 प्रतिशत और औद्योगिक विकास के लिये 35 प्रतिशत राशि आबंटन हुआ।

ग्रामीण क्षेत्र के सवालो को स्वर देने का काम चौधरी चरण सिंह ने भी बखूबी किया। चौधरी चरण सिंह ने सिर्फ ग्रामीण और किसानहितो को प्रमुखता के साथ उठाया बल्कि लगभग एक दर्जन प्रस्ताव लिखकर ब्यौरेवार स्वतंत्र भारत की स्वावलंबी योजनाओं का प्रचार किया। उन्होंने पंजाब के तत्कालीन राजस्वमंत्री चौधरी छोटूराम के अधूरे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पूरा करने का जिम्मा उठाया। 1977 में बनी जनता सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से सम्पूर्ण ग्राम विकास योजनाओं को लाकर उन्होंने जय प्रकाश की सम्पूर्णक्रांति लाने का अनुरोध किया। इस पर जनता सरकार में उनको समर्थन नहीं मिला क्योंकि अर्बनलॉबी बजट का अधिक भाग सिर्फ नगरो की सुविधाओं हेतु व्यय करने की आदी हो चुकी थी। किसान एवं ग्रामीण के प्रति उदासीन जनता सरकार का पतन हो गया। 1981 में 'भारतीय अर्थनीति का दिवास्वप्न' पुस्तक लिखकर चौधरी चरण सिंह ने जनतापार्टी की प्राथमिकताओं को जमकर कोसा।

आज के किसान आंदोलन में ऐसे कई नारे उभर रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा सं उद्धत हैं। किसान आंदोलन अब एम०एस०पी० तथा तीन कृषि कानून तक सीमित नहीं है। किसान अब अपने सम्पूर्ण अधिकारी हेतु आंदोलनरत है। वर्तमान सरकार भारत आत्मनिर्भरता का स्वप्न दिखा रही है। क्या किसान उपेक्षा के साथ यह स्वप्न साकार होगा हमे सोचने को बाधित कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश रहेगा। तीन दशक हो गये हैं देश में उदारीकरण का ऐसा ज्वर प्रवाहित हो रहा है जिसके कारण गांव और किसान हाशिये में चले गये हैं। देश के अधिकांश स्रोत सिर्फ कारपोरेट जगत के उत्थान हेतु खर्च हो रहे हैं। कहने के लिये तो भारत विश्व के महानतम लोकतंत्र में हैं लेकिन भारत सरकार Government is the people by the people and for the people न होकर Government is corporate by the corporate and for the corporate प्रमाणित हो रही है और इस हकीकत को सभी मंचो पर इस चतुराई से पेश किया जाता है कि ग्रामीणोंन्मुखी विकास के समर्थको को देश के प्रति सर्मपणता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिये जाते हैं। किसान उपेक्षित आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि जो संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को चौड़ी कर रहा हैं। यह उन नीतियों का परिणाम है कि जो जल, जंगल और जमीन (काश्तक्षेत्र) जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण हासिल करती है और यह उन नवउदारवादी नीतियों की उपज है जो सामाजिक दायित्वों से मुंह चुराकर कृषि और किसान को उद्योग घरानो को सौंपती है। खेत का पानी छीनकर गगनचुंबी अर्पाटमेंटो में स्वीमिंग पूल बनाये जा रहे हैं, पशुओं के लिये गांवों के जोहड़ो में भले ही पानी न हो पर महानगरो के गार्डनों को वाटर सप्लाई बनी रहे, कारपोरेट घरानो के 22 लाख करोड़ रुपये के कर्जे एन०पी०ए० बनाकर मुआफ कर दिये जाते हैं परन्तु भारत के प्रत्येक किसान पर एक लाख रुपये का कर्जा बना रहने के प्रति उदासीनता बनी रहती है, 80 हजार करोड़ रुपये के दाल व तेल बाहर से मंगवाने में सरकार तत्पर हो जाती है, पर अपने किसानों को दाल व तिलहनो की पैदावार उगाने को प्रोत्साहन देने में सरकार की अनदेखी बनी रहती है। अब तो स्वर उठ रहे हैं कि कृषि से किसान हट जाये। देश की आधी आबादी जो किसान हैं वे कहाँ जायेंगे पेट भरने के लिये, कहीं से उत्तर न ही आता। सौ साल होने को है मुंशी प्रेमचंद ने किसान व्यथा पर गोदान उपन्यास लिखा था, आज भी वह किसान ट्रैजेडी वहीं पर खड़ी हैं।

अभी–अभी अमेरिका में किसान ट्रैजड़ी पर एक संवेदनशील अध्ययन हुआ है। 40 साल पहले अमेरिका में कृषि क्षेत्र कारपोरेट जगत के हवाले कर दिया था जो भारत आज अपने कृषि जगत को कारपोरेट घरानों को सुपुर्द करने पर आमादा है। फरवरी 2020 में अमेरिकी किसान 1000 डालर की घाटे की खेती कर रहा हैं वहां पर गेहूं की पैदावार पिछले 20 साल में तीन गुणा बड़ गई जबकि किसान को गेहूं की कीमत वह मिलती है जो 1865 में सिविल–वार के टाईम में मिलती थी। 1945 में वहां पर 60 लाख कृषक थे जो आज 20 लाख रह गये हैं दिनोदिन कृषको को फार्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राष्ट्रपति किलंटन के शासन में 'Frredom to farm Act of 1996' कानून बना जिसे आज वहां के किसान 'Freedom to fall' कानून कहते हैं। इससे अमेरिका का किसान औंधा गिर गया और कारपोरेट जगत कृषि पर हावी हो गया। पिछले 40 सालो में कृषि उत्पाद की कीमतो में 200 फीसदी वहां बड़ गई जबकि निचली श्रेणी के 90 फीसदी किसानों की आय केवल 20 फीसदी बढ़ी। कृषि छोड़कर किसानों को वहां 2 घंटे की शिट में कारखानों में काम करना पड़ रहा है ताकि वे अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। यूरोप के किसानो की भी यही दुर्दशा है। निःसन्देह विश्व में किसान संकट में है। अमेरिकी किसान भारतीय किसान को सलाह दे रहा है कि वह श्ठपह ।हश अर्थात कारपोरेट लॉबी के चुंगल में न आये वरना वह कारपोरेट घराने का गुलाम सदा के लिये बन जायेगा।

आम भारतीय किसान रोज एक एकड़ भूमि पर हल चलाकर सुबह से शाम तक 13 किलोमीटर चलता है फिर भी वह मुसीबतों के भंवरों में फंसा रहता है। भारत का पाली अपने पशुओं को पालकर जब अमूल को अपना दूध बेचता है तो उसे नाम मात्र की कीमत मिलती है। स्वीडन देश ने अपने किसानों की रक्षा हेतू कानून बना दिया है कि यदि कोई व्यापारी किसान से कृषि उत्पाद उसके लागत मूल्य से कम खरीदेगा तो उसे कठोर दंड और भारी जुर्माना देना पडेगा। भारतीय किसान अब समझदार हो गया है उसने समझ लिया है और वह निर्णय कर चुका है कि भारत हाली–पाली किसी भी कीमत पर कारपोरेट लॉबी का मातहत नहीं होगा। उसने Farm Economics जान ली है। सरकार किसान को झूका नहीं पायेगी और भारत के लोकतंत्र की आत्मा किसान सदैव देश को खाने को भी देगी तथा देश की सीमाओं को सुरक्षित भी रखेगी – जय जवान! जय किसान!

कोरोना के दौर में आयुर्वेद, कितनी आर्थिक संभावनाएं

– जयंतीलाल भंडारी

यकीनन इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर ने देश और दुनिया में आयुर्वेदिक सैक्टर की अहमियत और बढ़ा दी है। कोविड–19 की चुनौतियों के बीच देश और दुनियाभर में आयुर्वेदिक बाजार के तेजी से आगे बढ़ने का सुकून भरा परि.श्य दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष 13 नवंबर, 2020 को पांचवें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रस अधानोम घेब्रेसस ने घोषणा की कि डब्ल्यूएचओ भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा और इससे विश्व के विभिन्न देशों में परंपरागत और पूरक दवाओं के अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक आयुर्वेद भारत की विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। जिस तरह भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में उभरा है, उसी तरह पारंपरिक दवाओं का यह केंद्र भारत में वैश्विक स्वास्थ्य का केंद्र बनेगा।

गौरतलब है कि जैसे–जैसे आयुर्वेद का उपयोग बढ़ता गया है, वैसे–वैसे आयुर्वेदिक दवाइयों का बाजार बढ़ता गया है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान भारत के सदियों पुराने आयुर्वेद को दुनियाभर में अपनाया गया है। भारत सरकार ने कोविड–19 से लड़ने के प्रयासों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक संघटकों के उपयोग की सफल रणनीति बनाई है आज दुनिया के कई देशों को आयुर्वेदिक दवाइयों और मसालों का निर्यात किया है। 21वीं सदी में भी पारंपरिक इलाज के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे आयुर्वेद ने काफी विश्वसनीयता हासिल की है और इससे आयुर्वेदिक बाजार बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद मार्केट से संबंधित प्रसिद्ध मेक्सीमाइस मार्केट रिसर्च के मुताबिक भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों का बाजार आकार वर्ष 2019 में करीब 4.5 अरब डॉलर मूल्य का था, यह वर्ष 2026 तक बढ़कर 14. 9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। आरबीईएफ डॉट कॉम के मुताबिक भारत का आयुर्वेदिक बाजार तेजी से बढ़ते हुए 2022 में 9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। निश्चित रूप से देश और दुनिया में आयुर्वेदिक बाजार बढ़ रहा है, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हैं, जो आयुर्वेदिक बाजार को ऐलोपैथिक बाजार जैसी ऊंचाइयों से रोकते हुए दिखाई दे रही हैं। ये चुनौतियां आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अत्यधिक जटिल व निषेधात्मक है। आयुर्वेदिक दवाओं की प्रभावकारिता का पूर्वानुमान करना कठिन कार्य है। अत्यधिक गंभीर संक्रमण और अन्य आपात स्थितियों में आयुर्वेद की न्यून

प्रभावकारिता आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार को सीमित कर देती है। कई बार आयुर्वेदिक दवाओं की बेहतर बाजार हिस्सेदारी के लिए कई आयुर्वेदिक दवा कंपनियां पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के अपने उत्पादों के बारे में जिस तरह चमत्कारिक दावों को प्रचारित करती हैं, उनके प्रामाणिक नहीं होने पर आयुर्वेदिक बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चूंकि कई बार आयुर्वेदिक दवाओं के मामले में किए गए दावों को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। अतएव कई आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में यही आम धारणा बनती है कि इनके दावे अतिरंजित हैं।

उल्लेखनीय है कि कई बार अमेरिका और यूरोपीय देशों में बेची जाने वाली कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में आर्सेनिक, मरकरी, लेड जैसी भारी धातुओं के अतिशय प्रयोग पर चिंता व्यक्त की गई और कहा गया कि भारी धातुओं का अतिशय प्रयोग स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। ऐसे विभिन्न कारणों से दुनिया के कई देशों में आयुर्वेद को लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो पाई है और इससे दुनिया में आयुर्वेदिक बाजार अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाया है। निश्चित रूप से इस समय जब डब्यूएचओ ने भारत में पारंपरिक दवाओं के वैश्विक केंद्र की स्थापना सुनिश्चित की है, तब भारत के आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार के बढ़ने की नई संभावनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में अब आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार को देश और दुनिया में तेजी से बढ़ाने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। हमें मान्य तरीकों से आयुर्वेदिक दवाइयों के दस्तावेजीकरण की डगर पर आगे बढ़ना होगा। हमारे द्वारा औषधीय पौधों को रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से पूरी तरह मुक्त रखा जाना होगा। दवाओं के निर्माण में भारी तत्वों का इस्तेमाल रोकना होगा।चूंकि भारत दुनिया में औषधीय जड़ी–बूटियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसे बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का वनस्पति उद्यान कहा जाता है। ऐसे में देश में औषधीय गुणों से भरपूर सैकड़ों तरह के पौधों के अधिकतम उत्पादन की नई रणनीति बनाई जानी होगी। देश में तुलसी, अदरक, लोंग, काली मिर्च, बिल्वपत्र, नीम पत्ता, पान पत्ता, तेज पत्ता, जामुन पत्ती, सोम पत्ती, जैसी सैकड़ों जड़ी–बूटियों के उत्पादन कार्य को बढ़ाया जाना होगा। केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के द्वारा भी किसानों को जड़ी–बूटी एवं औषधीय खेती के विस्तार के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने होंगे।

हमें आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार को बढ़ाने के लिए कई और बातों पर भी ध्यान देना होगा। भारतीय औषध प्रणाली के तहत सभी औषधीय पौधों की समुचित बॉटनिकल पहचान कायम करनी होगी। औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग वैज्ञानिक, आर्थिक और सुरक्षित तरीके से की जानी होगी। आयुर्वेदिक उत्पादों की क्षमता और सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए फार्माकोलॉजिकल तथा क्लीनिकल अध्ययन बढ़ाया जाना होगा। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए उपयुक्त नियमन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी। आयुर्वेदिक इलाज की प्रक्रियाओं का स्टैंडर्ड तय किया जाना होगा। आयुर्वेदिक दवाइयों की पुरानी स्टाइल की पैकेजिंग की जगह आधुनिक पैकेजिंग सुनिश्चित की जानी होगी। आयुर्वेदिक दवाइयों संबंधी शोध को बढ़ाना होगा। खासतौर से तत्काल परिणाम देने वाली और साइड इफेक्ट्स से बचाने वाली दवाइयों पर शोध पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा। हम उम्मीद करें कि जहां सरकार कोविड–19 के बीच दुनियाभर में आगे बढ़ते हुए आयुर्वेदिक बाजार को ऊंचाई देने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, वहीं देश की आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए समर्पित रूप से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही देश के करोड़ों लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को जीवन का मूलमंत्र बनाएंगे। निरूसंदेह इससे देश का आयुर्वेदिक बाजार तेजी से आगे बढ़ेगा और आगे चलकर आईटी की तरह आयुर्वेद सेक्टर भारत के लिए विदेशी मुद्रा की चमकीली कमाई का नया जरिया बनते हुए दिखाई दे सकेगा।

21वीं सदी का मूल मंत्र है सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा

– डॉ.सुनील कुमार

सड़क परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को सुगम करती है, सड़कें कृषि उपज को बाजार तक ले जाती हैं और बच्चों को स्कूल अतः वर्तमान समय में सड़कें जीवन की गतिविधियों का केंद्र है। सड़कें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। निरंतर आर्थिक विकास और बढ़ते शहरीकरण ने परिवहन प्रणालियों पर दवाब बढ़ा दिया और वर्तमान परिवहन प्रणाली ने एक तरफ दूरियों को कम कर दिया है लेकिन दूसरी ओर इसने जीवन जोखिम को बढ़ा दिया है। सड़क दुर्घटना की सांख्यिकी का विश्लेषण भारत में सड़क दुर्घटनाएं सालाना लगभग 1.5 लाख लोगों को मारती हैं। तदनुसार भारत में विश्व में दुर्घटना से संबंधित मौतों का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है। भारत द्वारा रिपोर्ट की गई सड़क दुर्घटनाओं की कुल अनुमानित सामाजिक आर्थिक लागत 1,47,114 करोड़ रुपये थी जो देश की जीडीपी के 0.77 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है। सड़क उपयोगकर्ता के .ष्टिकोण से दुर्घटना डेटा का विश्लेषण किए जाने पर निम्न विश्लेषण सामने आते हैं। सड़क दुर्घटना के कारण मारे जाने वालों में 17 प्रतिशत

पैदल चलने वाले यात्री होते हैं, 37 प्रतिशत दो पहिया वाहन पर चलने वाले यात्री और 16 प्रतिशत चार पहिया वाहन में चलने वाले यात्री होते हैं। अतः दो पहिया वाहन और पैदल चलने वालों की सड़क दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना से मारे जाने वालों का का 54 प्रतिशत हिस्सा होता है और यह वैश्विक रुझानों के अनुसार मानव विकास के .ष्टिकोण से सबसे कमजोर श्रेणी है।

अगर हम एज ग्रुप और जेंडर के अनुसार सांख्यिकी का विश्लेषण करें तो यह पाया गया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों ने लगभग 69.3 प्रतिशत सड़क दुर्घटना के के कारण अकाल मौत के मुंह में चले गए हैं जो कि भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा है। सड़क दुर्घटना से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने पर यह भी पाया गया हैं कि कुल दुर्घटना मौतों की संख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी 86 प्रतिशत थी जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत पाई गई। ट्रैफिक रूल वाययलेशन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो यह पाया गया है 67.3 प्रतिशत ओवर स्पीडिंग के कारण, 6.1 प्रतिशत गलत साइड में ड्राइविंग करने के कारण और 3.3 प्रतिशत ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के प्रयोग के कारण और 3.5 प्रतिशत शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।

सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर इस वर्ष 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच राष्ट्रीय रोड सुरक्षा माह मनाया। इससे पहले हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह की थीम थी सड़क सुरक्षा– जीवन रक्षा। इसी दौरान इन्स्टिटूट ऑफ रोड ट्रैफिक और एजुकेशन ने विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह सुरक्षित स्कूल बस, नागरिकों के लिए सुरक्षित टैक्सी और पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवहन की सुविधा विकसित की जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार की नीतियों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन, साइक्लोथान और वाकाथोन जैसी प्रतियोग्यताओं का आयोजन हुआ। सड़क पर दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वालों को गुड समरतीयंस का अवार्ड दिए गए। ट्रैफिक पुलिस और डॉक्टर्स को रोड सेटी चौम्पियन से नामांकित किया गया, विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा बोली गई, हाईवे ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न तरह के जागरूकता प्रोग्राम किए, विभिन्न स्थानों पर ड्राइवर्स के आँखों और स्वास्थ्य के चौकअप कैंप का आयोजन हुआ, दिव्यांगो के लिए सुलभ भारत पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ ओर सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में सेमिनार और वेबिनार का आयोजन हुआ। इन सभी का मकसद है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए किस तरह सड़क पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

हरियाणा की पहचान का सवाल

– सुभाष चन्द्र

हरियाणा के गठन से ही जब–तब बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ हरियाणा की पहचान ढूंढने की कवायद करते रहे हैं। लेकिन वे सर्वमान्य पहचान को चिह्नित करने में असफल ही रहे हैं। राजनीतिज्ञ अपना राजनीतिक नेतृत्व जमाने के लिए स्थानीयता का खास मुहावरा तलाशता है और अपनी छवि के साथ क्षेत्र–विशेष को जोड़ने की कोशिश करता है। राजनीतिक नेताओं की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाएं जब इलाके की पीठ पर सवारी करने लगती हैं तो कहीं बांगर की चौधर का सवाल हो जाता है तो कहीं अहीरवाल का या बागड़ का। हरी, गुलाबी, केसरिया और पीले रंग की अपनी पगड़ियों के रंगों को ही हरियाणा की पहचान बताने लगता है। पर जब ये राजनीतिक पगड़ियां सत्ता के गलियारे में दम तोड़ने लगती हैं तो लोग भी पहचान की पगड़ी को तह करके अपनी कांख में दबा लेते हैं।

जब कोई बुद्धिजीवी हरियाणा की पहचान के सवाल से जूझता है तो वह हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सामान्य सूत्र ढूंढने के लिए मगजपच्ची करता है और सफलता हाथ नहीं लगती। असफलता का मुख्य कारण हरियाणा की विविधता का जश्न न मनाकर उनके बीच एकता को ढूंढ निकालने पर ही उसका जोर रहता है। एकता पर जोर होने से इसकी विविधता को हरियाणा की ताकत न मानकर कमजोरी ही समझा गया। एकता तलाश हुई भी तो उसके बाहरी स्वरूप में न कि उसके मूल्यों में। हरियाणवीपन आविष्कृत करने के उत्साह में स्थानीय विविधताओं की अनदेखी करना कतई उचित नहीं।

भारत की विविधताओं की तरह ही हरियाणा की संस्कृति में भी विविधताएं हैं, जिन्हें किसी एक निर्धारित सांचे में बिल्कुल फिट नहीं किया जा सकता। कृत्रिम हरियाणवीपन 'इन्वेंट' न करके ब्रज, मेवात, खादर, बांगर, बागड़ और अहीरवाल की विविधताओं के बीच आदान–प्रदान की कड़ियों व प्रक्रियाओं को चिह्नित करने की जरूरत है। हरियाणा की

विविध संस्कृतियों पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है, जिनकी समग्रता में ही हरियाणा की पहचान बनती है।

संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील व प्रवाहमान है। संस्कृति को स्थैतिक रूप में नहीं बल्कि बदलावों की निरंतरता में ही समझा जा सकता है। संस्कृति कोई बनी–बनाई वस्तु नहीं है, जिसका हमें पालन और रक्षा करनी है, बल्कि वह सतत प्रवाह है, जिसमें हर पीढ़ी अपने अनुभवों को जोड़कर सांस्कृतिक मूल्यों को प्रासंगिक और पुनर्नवा करती है। इस तरह संस्कृति जोहड़ के ठहरे हुए पानी की तरह नहीं, बल्कि बारहमासी नदी की तरह है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर समानान्तर रूप से अनेक प्रक्रियाएं घटित होती रहती हैं।

हरियाणवी संस्कृति के विमर्श में संस्कृति के बाह्य रूप यानी पुरानी वस्तुओं, ढांचों और रीति–रिवाजों को ही संस्कृति के पर्याय के तौर पर प्रस्तुत किया। कभी–कभी धर्म को ही संस्कृति का पर्याय मान लिया गया। मानो कि धार्मिक कर्मकांडों का निर्वाह करना ही सांस्कृतिक कर्म हो।

जीवन–मूल्यों के निर्माण–विघटन की प्रक्रियाओं और उनके सामाजिक आधार के विश्लेषण की सांस्कृतिक–विमर्श में केन्द्रीय जगह नहीं बनी, जबकि संस्कृति तो मूल्यों में ही निहित होती है। हरियाणा के सांस्कृतिक–विमर्श में संस्कृति के दस्तावेजीकरण पर बहुत जोर दिया गया। यद्यपि संस्थागत तौर पर विशेष काम नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इस दिशा में कुछ प्रशंसनीय काम जरूर किए गए हैं, परन्तु इसमें एक अतीतमोह की भावना थी। संस्कृति के नाम पर पुरातन को इस भाव से प्रस्तुत किया गया कि यह वर्तमान से बेहतर था और इसे पुनर्स्थापित करना है। सही है कि किसी समाज के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना जरूरी है, लेकिन उसको दोबारा कभी जिया नहीं जाता। भवनों–स्थापत्य आदि को संजोना निहायत जरूरी है, लेकिन अब उसकी नकल करके वैसा ही करना हास्यास्पद होगा। इतिहास का दोहराव पैरोडी बन जाता है। आज कोई शासक मुकुट पहनकर, तलवार लगाकर घोड़े पर चढ़कर आये या हाथी पर अपनी शोभायात्रा निकाले तो कितना हास्यास्पद व मनोरंजक कृश्य होगा। देवताओं सा रूप बनाकर बाजार में घूमने वाले बहुरूपियों के प्रति कभी श्रद्धाभाव जागृत नहीं होता, कोई उनमें देवताओं का रूप नहीं देखता। वर्तमान कभी भी अतीत को उसके मूल रूप में धारण नहीं करता, बल्कि मूल्य के रूप में वह वर्तमान का हिस्सा होता है।

हरियाणा के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में शास्त्रोक्त आचार–संहिताओं की बजाय लोक का ही प्राधान्य है। शास्त्रीयता जहां एक विशेष पद्धति व अनुशासन की अपेक्षा करता है, लोक में खुलापन व खुरदरापन होता है। अपने संकटकाल में लोक शास्त्रा की बजाए जीवन की व्यावहारिकता से ही निर्णय करता है, इस मायने में हरियाणवी संस्कृति 'शास्त्रा' की बजाय 'लोक' से संचालित है।

यहां के देवी–देवता व पूजा पद्धतियां भी लोक की हैं। गांव के स्तर पर बाहरली माता, बूढ़ी माता, अलखदाता और खेड़ा आदि देवता के तौर पर प्रतिष्ठित हैं। इन देवताओं का कोई सार्वभौमिक स्वरूप नहीं है, कोई विशेष आकार नहीं है। पूजा की भी विशेष पद्धति नहीं है। कुछ खील–पतासे, कच्चे अनाज के दाने, मीठे चावल आदि सामान लिया, हाथ जोड़कर जय हो का उच्चारण कर दिया। प्रार्थना इतनी सी कि निराकार देवता से दूध–पूत में वृद्धि मांग ली और हो गई पूजा संपन्न। कोई आरती नहीं, कोई मंत्र नहीं किसी पुजारी की जरूरत नहीं। न कोई भव्यता, न ताम–झाम। एकदम सहज। जाहर वीर गोगा पीर में यहां के लोगों की गहरी आस्था है। वह भी लोक का ही देवता है किसी शास्त्र का पात्र नहीं है, बल्कि लोक ने ही उसकी रचना की है। आज भी गोगा पीर की छड़ी पूरे प्रदेश में घूमती है। पौराणिक कथाएं जीवन से गायब तो नहीं हैं, लेकिन मुख्यतः लोककथाएं, लोकगाथाओं में ही हरियाणवी मानस रस लेता रहा है।

हरियाणा समाज रूढ़िवादी समाज नहीं रहा। यहां की परम्पराओं और लोकजीवन में बौद्ध धर्म, सूफी–परम्परा, संत–परम्परा और आधुनिक समाज के अपेक्षाकृत प्रगतिशील मत आर्यसमाज का प्रभाव रहा है। शास्त्रीय परम्परा के संवाहक यहां के पण्डित भी उनके यजमानों जैसे ही हैं। कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। धार्मिक संकीर्णता–कट्टरता व संस्थागत–कर्मकाण्डी धर्म की बजाए लगातार धर्म की मानवीय शिक्षाएं व सहज पहलू ही यहां के जीवन का अंग रहे हैं।

पिछले कुछ समय में हरियाणा के गांवो–शहरों में लोक देवताओं की जगह बड़े–बड़े शिवाले–गुरुद्वारे आदि बने हैं, डेरे भी बने हैं और उनके अनुयायी भी बढ़े हैं, कांवड लेकर आने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन आध्यात्मिकता, सहनशीलता, संयम, सच्चाई, ईमानदारी आदि मूल्यों का ह्रास हुआ है। यह जांच–पड़ताल का विषय है कि कर्मकांडी संस्थागत धर्म और आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति में क्या संबंध है। उपभोक्तावाद–बाजारवाद की टीम–टाम बढ़ी और बाजार घरों में समाने लगा तो सहज धार्मिक जीवन में भी बाजार अपनी पैठ बनाने लगा। सत्यनारायण की कथाओं और देवी की कढाईयों के स्थान पर भव्य व महंगे जगरातों का नया अध्याय शुरू हो गया। फिल्मी गीतों की धुनों के साथ मिलकर धार्मिक–आध्यात्मिक भावना की पूर्ति विकृत रूप में हो रही है। कथा वाचन व आयोजन ने व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। कितनी ही संस्थाएं व कथावाचक धन

लेकर कथाएं करने के कारोबार में हैं और कथाओं के लिए कितना चंदा एकत्रित किया जाता है। स्वाभाविक है कि जहां बाजार की पैठ होती है, वहां विकृति आती है।

असल में बाजारवाद–उपभोक्तावाद मनुष्य को सांस्कृतिक तौर पर खोखला करता है और अपनी जगह बनाता है। मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है, संस्कृति उसकी मूलभूत जरूरत है। बाजार उसकी इस जरूरत को अपनी शर्तों पर पूरी करता है। जीवन से जो चीजें गायब हो रही हैं बाजार उनको कृत्रिम ढंग से पूरा करने की कोशिश करता है। मसलन मां–बापू से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कथित धार्मिक मां–बापू की सेवा में हर सप्ताह हाजिर हैं।

संस्कृति का काम–धंधों व प्राकृतिक वातावरण के साथ गहरा संबंध है। इनके बीच में ही वह बनती है। काम–धंधों के स्वरूप में बदलाव आता है तो संस्कृति के रूप व उसके मूल्यों में भी बदलाव निश्चित है। हरियाणा का समाज कृषक समाज है और इसकी संस्कृति किसानी संस्कृति है। किसानी जीवन का संबंध कड़ी मेहनत से है। मेहनती समाज में ईमानदारी, खुद्दारी, और साहस स्वतः ही पनपते हैं। जो समाज व व्यक्ति मेहनत से दूर होता जाता है उसमें विशेष किस्म की विकृति पैदा होने लगती है। बिना मेहनत किए प्राप्त करने की इच्छा से पाखण्डपूर्ण व अमानवीय जीवन का निर्माण होता है।

हरियाणा से कृषि संस्कृति समाप्त हो रही है और उसकी जगह बाजारवाद–उपभोक्तावाद स्थापित हो रहा है, तो चालाकियां, चालबाजियां, बेईमानियां और मुतखोरी जीवन में घर करते जा रहे हैं। जो समाज पारदर्शी था वह औपचारिकताओं व दिखावों से भरता जा रहा है। विवाह–शादियों हो, रस्म–पगड़ियां हों या धार्मिक कार्यक्रम दिखावे पर बहुत जोर है।

हरियाणा में हरित क्रांति की सफलता ने देश–दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था, यहां की खेती को माडल माना जाता था। अब इसके दुष्प्रभावों को लेकर चर्चा शुरु हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से दलित–उत्पीड़न के जघन्य–कांडों तथा इज्जत के नाम पर युवक–युवतियों की हत्याओं के कारण हरियाणा चर्चा में रहा है। विश्व स्तर पर खेलों में उपलब्धियों के कारण भी कुछ चर्चा हरियाणा की होती है। पॉपुलर मीडिया भी हरियाणा की बोली को अपने व्यावसायिक हितों के लिए प्रयोग कर रहा है। बालीवुड के चोटी के अभिनेता यहां की पृष्ठभूमि पर फिल्में बना रहे हैं। लेकिन हरियाणा के समाज व संस्कृति के आन्तरिक अन्तर्विरोधों पर गंभीर मंथन अभी शेष है। देस हरियाणा पत्रिका इस बहस को चलाना चाहती है, इस बहस में आपसे सक्रिय हिस्सेदारी की उम्मीद है।

हरियाणा चाहे ऊपरी तौर पर आधुनिक दिखाई दे रहा है। एकदम आधुनिक फैशन व ब्रांड के कपड़े, यातायात के आधुनिक साधन हैं, अत्याधुनिक गैजेटस हैं। आधुनिक समाज की समस्त सुविधाएं यहां मौजूद हैं, लेकिन आधुनिक समाज की सोच, मूल्य व तौर–तरीके यहां दिखाई नहीं देते। महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों–वंचितों के प्रति नजरिया व व्यवहार कतई आधुनिक नहीं हुआ। अक्षर और पुस्तक की उपस्थिति आम आदमी के जीवन में आधुनिक समाज में ही संभव हुई है। लेकिन हरियाणा के सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में इनकी उपस्थिति बहुत कम है। शायद ही कोई घर होगा, जिसमें कि पुस्तकों के लिए अलग से कोई स्थान बनाया गया है। शहरों में साहित्य के लिए कोई दुकानें नहीं हैं। विचार–विमर्श के केंद्र नहीं हैं। मध्यवर्ग के अधिकांश लोगों से यही बात सुनने में आई कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन वे किस कर्म में व्यस्त हैं। इस पर भी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है।

देस हरियाणा' पत्रिका का यही प्रयास है कि हरियाणा के समाज में पठन–पाठन की संस्कृति विकसित हो। लोग अपनी समस्याओं व जीवन की बेहतरी में आ रही बाधाओं पर तार्किक ढंग से विचार–विमर्श करें। उनके सामूहिक समाधान की ओर बढ़ें। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, इसलिए उसका सचेत होना ही लोकतंत्र के विकास की गारंटी है। समाज के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया से ही सबके प्रति सम्मान व बराबरी का भाव पैदा होगा।

हरियाणा के वरिष्ठ, युवा व नवोदित लेखकों का साहित्य कहानियां, कविताएं, गजलें, लघुकथाएं, रागनियां हैं। हरभगवान चावला की 'किश्तियाँ' कहानी हरियाणा की गंभीर समस्या को पूरी विश्वसनीयता व जटलिताओं को समाहित किए हुए है। ज्ञान प्रकाश विवेक की 'फासला' कहानी इस सत्य को स्थापित करती है कि सामाजिक–संबंधों का आधार श्रम–संबंध होते हैं। यदि ये सूत्र बीच से गायब हो तो सामाजिक–संबंध भी बिखर जायेंगें। सुनील 'पागल' युवा कवि हैं। उनकी कविताएं जीवन–संघर्ष में भरोसा जगाती हैं। हरियाणा की विरासत में रहबरे–आजम दीनबंधु सर छोटूराम महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने किसान एकता के जरिये हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिए काम किया। उनका 'भारत में मजहब' लेख दे रहे हैं। मुंबईया फिल्मों में हरियाणा की छवि का विश्लेषण करता सही राम का विशेष लेख तथा 'दशरथ मांझी द माऊंटेन मैन' पर कमलानंद झा का महत्वपूर्ण आलेख है। उस्ताद धूलिया खान सारंगी वादक थे। उन्होंने प्रसिद्ध सांगी लखमीचंद के साथ काम किया था। रोशन वर्मा का लेख उनके व्यक्तित्व से परिचित करवाता है। पश्चिम ने भारत को कैसे समझा विषय पर अमनदीप वसिष्ठ का महत्वपूर्ण आलेख 'ज्ञान–पश्चिम–औपनिवेशिकता' दे रहे हैं।

बजरंग बिहारी तिवारी का आलेख 'दलित प्रेम का आशय' गुरू रविदास के के अनछुए पहलुओं को उजागर करके दलित–विमर्श का आधार विस्तृत करता है। स्वयं प्रकाश का आलेख 'उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले' विश्व साहित्य के बेहतरीन उपन्यासों से परिचित करवाता है। अरुण तिवारी का 'पंचायती राजःअस्तित्व में आने की कहानी' लेख इस अर्थ में प्रासंगिक है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा ने इसमें जो नई अयोग्यताएं जोड़ी हैं उन पर खूब बहस चल रही है। जहां एक पक्ष इसे पंचायतों के आधुनिकीकरण व शिक्षा की महत्ता को उजागर करने के कदम के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे बहुत बड़ी आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के रूप में देखता है। प्रोकृ टीकृआरकृ कुंडू का आलेख 'हरियाणा का आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पिछड़ापन' हरियाणा की संस्कृति के सामाजिक आधार तथा आर्थिक विकास के अन्तर्विरोधों को समझने के सूत्र देता है। इस बार 'देसा' छुट्टियां मना रहा है, और वहां दूसरे प्रांतों की लोककथाएं हैं। हरियाणा की अभिव्यक्ति का खास मुहावरा रागनी, लोकगीत, कविताओं में हैं। अंक आपके हाथ में है। आपके सुझाव पत्रिका को समृद्ध करेंगे।

Exit of Subhash Bose from Congress

R. N. Malik

The one year presidential term (1938-39) of Subhash as Congress President had been extremely successful. This period showed that Subhash was a man of versatile qualities. He exhibited rare qualities of brilliance, honesty, passion (of seeing an independent India at the earliest), dynamism, hard work, vision, modern outlook, prescience, farsightedness and genius. No other President in the past, not even his Guru C.R.Das, had churned the party so much as Subhas had done. Therefore his request to Gandhi Ji to give another term to revitalise the party was justified. He also cited the case of Jawaharlal Nehru who had been given two terms during 1935-37. But his first term consisted of only six months. Gandhi Ji could not accede to his request for a second term for a variety of reasons.

I. Subhash never gave due regard and reverence to senior leaders of the party. Persons like Sardar Patel, Raja Ji and Prasad were great leaders in their own right and much taller than Subhash in every respect. He was only respectful to Gandhi Ji and Jawaharlal Nehru.He always wrote and talked to them only and manifestly ignored other leaders. So these leaders were not ready to give a second term to Subhas and Gandhi Ji knew their strong feelings.

2. The duel between Subhas and Sardar Patel, the pillar of strength of Congress, over the issue of will of late Vithalbhai Patel (elder brother of Sardar) was well known. The fault lay with Subhas. Sardar also believed that Subhas poisoned the years of his brother against him when the two were together in Vienna. Sardar was in jail when Vithalbhai was seriously ill and died in Vienna. His letters written from the jail could not reach his brother and probably that created bitter feelings in the mind of his dying brother and Sardar was feeling very sad about this episode. So Sardar was dead set against Subhas even during the first term but Gandhi Ji had overruled his opposition. Even then Sardar left no stone unturned to give a grand reception to Subhash at Haripura session. The arrangements made at the venue had been beyond excellence and Subhas did not show reciprocal gratitude to Sardar Patel in his Presidential address or otherwise.

3. K.M.Munshi had informed seniors that Subhas was having some kind of dialogue with officials of German embassy. This information was true.

4. The banned autobiography of Subhas (Indian Struggle) was now available in India and he had made very disparaging remarks against the senior members and projected them in a poor light. In fact, disparaging remarks in the autobiography were the main reason of bitterness towards Subhash.

5. Subhas had been clamouring that war between Germany and England was imminent and Congress should openly support the Axis powers against England. On the other hand, Congress hated fascist forces more than imperialism practised by England. Subhas did not hate genocide of jews by Hitler which Congress could not digest.

6. Subhas was asking Gandhi Ji to launch a nationwide nonviolent Civil Disobedience movement to redeem the pledge taken at the Congress session at Lahore. Gandhi Ji was of the opinion that people, being tired and living under grinding poverty were not yet ready for another long sustainable movement. They had got much needed relief only under the Congress rule in 8 provinces and needed more time to regain strength for a big fight.

7. The Congress was uselessly divided into three fronts I.e. leftists, socialists (under Jaiparkash Narain and Ram Manohar Lohia) and rightists. Leftists under Subhas were most active. Unfortunately Congress had members who were also members of Hindu Mahasabha (Jayakar, M.S.Anney, Madan Mohan Malviya and earlier Lala Lajpat Rai) and Communist party. Subhas was rabidly bugged by leftism and always talked of strong leftist front.

8. A strong rumour had been spread that seniors were trying to hobnob with the Viceroy to implement the Federal part of the 1935 Act. Subhash believed this rumour to be true and accused the seniors in his election campaign for this lapse. Even Sarat Bose admitted that this was a big mistake of Subhash.

So when Subhas met Gandhi Ji with the request of a second term, Gandhi Ji politely advised him not to try for a second term as he had Abdul Kalam Azad in mind for the second term in order to blunt the accusation of Jinnha that Congress was a Hindu organisation. Sarat Bose (Elder brother of Subhash) was already a member of CWC. Subhas did not agree and made his intentions clear to go for a contest. Earlier he had said that he would not contest the election if leftist leader Acharya Narender Deva was adopted as the next President of the party. It is not known if this option was placed before Gandhi Ji by Subhash. (Later Subhash also complained that Congress had 12 Bengali Presidents before 1917 but only two during the Gandhi era.)

The decision of Subhash to contest the election sent tremors in the party because President of the party had always been selected

through consensus and had never been elected except some rumblings in 1907. During Gandhi era, the party had always agreed with his choice without any demur and Gandhi Ji had always been very fair in his choice till then. Gandhi Ji could have still avoided the contest had he worked with little judiciousness.

Subhas was still the President of Bengal Provincial Congress Committee (BPCC). Likewise Sardar Patel was the President of GPCC in Gujrat. But Sardar had total hold over the party whereas BPCC was always divided into two factions called Bose Group and Gandhi Group. Subhas tried his best to bring unity and harmony in the party. At one point, he even offered his resignation. But his sincere efforts could not achieve the desired results. All the leaders in Bengal Congress like Dr. B.C. Roy, Kalyan Shanker Roy, Proful Ghosh, Nalin Sarkar, Sarat Chander Bose etc were highly educated and brilliant orators and difficult to be unanimous on most issues because of over intelligence. Sarat Bose was the most articulate of the lot and had a most rational and balanced approach. (Famous Nirad Chaudhary was his personal assistant.) In fact, he was the most competent person in the entire Congress party. He had a roaring practice of Rs. 50000 per month. Somehow he was not checking Subhas from going too far or even astray. Gandhi Ji never tried to use his influence to bridge the gap between two groups. In fact, he maintained a safe distance from the Bose group and allowed the factional fight to go on. Even Jawaharlal, a neutral man, also talked about the head ache caused by factional fight in Bengal Congress. Subhas would have definitely withdrawn had Gandhi Ji offered some important role to Sarat Bose at the Central level which he richly deserved. Or Gandhi Ji could say to him," You have sacrificed your ICS for the love of the country but you are now unable to sacrifice your insistence for re-election for sake of Congress and the country." Subhash would have immediately withdrawn from the contest after this comment of Gandhi Ji. Becoming Congress President was not a big deal as policies of Congress were always framed by CWC and AICC. Raja Ji never agreed to become President. Sardar Patel was President only once. Subhash was only 42 years old at that time and had a long innings before him.

All the senior leaders of Congress requested Sarat Bose to advise Subhas not to run for the presidentship in order to maintain the old tradition of selecting the President by consensus and election would creat serious rift in the party between leftists and rightists. Also leftist presidents had been selected with the consensus of rightists in the past. Sardar Patel even told Sarat that federation was not the issue. But Sarat Bose replied that Subhas would be a much better candidate than Sitaramayya to inspire confidence in the party. Subhas again maintained that he could opt out if a leftist was made the President. He also called himself as anti-federationalist. Strangely Nehru did not ask Subhash to withdraw and Subhas could have possibly agreed to his request.

Gandhi Ji and Sardar Patel asked Azad to stand for the election. But Azad developed cold feet. So finally Dr. Patabhi Sitaramayya (from Andhra) was made the candidate to fight against Subhas. The election took place on 29th January 1939. Subhas carried the day by getting 1580 votes against 1375 votes secured by Patabhi. Gandhi Ji reacted to the defeat in his own true style," The defeat is more of mine than that of Patabhi because I had coaxed him to fight the election. I enjoy myself in defeat. After all Subhash Babu is not the enemy of his country. He has suffered a lot for the country." But Gandhi Ji did not congratulate him personally and promise to extend full co-operation during the next term. Other supporters of Patabhi also kept mum and the battle lines were drawn. Subhas wrote to Gandhi Ji," I am pained to see that you have taken the election result as a personal defeat. But I will yield to none in my respect for you. It will always be my effort to win your confidence." Bose wanted to let bygones be bygones but coming events did not move that way. Bose confided to M.N.Roy that his intentions would be to win the confidence of Gandhi Ji. M. N. Roy was close to both Subhas and Gandhi Ji. He wrote to Subhas," I look upon the statement of Gandhi Ji as a declaration of war that will be fought in true Gandhian style through the instrument of Non-co-operation. You must sacrifice yourself for the cause of unity under the leadership of the patriarch."

On 15th February, Subhash went to Wardha to meet Gandhi Ji to seek his blessings and his help to constitute a fairly representative working committee. What precisely transpired between the two is not known. But Subhash returned to Calcutta as a disappointed man. Subhash never enjoyed a sound health. His lungs were always vulnerable to quick infection during a stressful period. This happened also in his earlier jail terms, particularly in 1932. The disease could not be rooted out as antibiotics had not been developed by then. These came much later during early 1950s and penicilin was the revolutionary antibiotic medicine in those days. So soon after his arrival from Wardha, Subhash developed pneumonia in both the lungs and he had a dangerously high temperature. The recovery was very slow and irregular. The Working Committee held its meeting at Wardha on 22nd February. Subhas sent the message to Sardar Patel to postpone the meeting as he was grievously ill. Instead of sympathising with his illness, the members took an affront to his request believing that the request was an expression of lack of trust in the members. As a result, all the members except Nehru and Sarat Bose resigned. The date of annual session was fixed for 6th March 1939 at Tripuri near the banks of river Narmada in Central Province. Who fixed the date is not known as CWC members had already resigned.

Subhash decided to reach Tripuri to attend the session. His doctors had warned that long journey might prove fatal to his life. But he foolishly ignored the caution. How his family members allowed him to go in this critical situation is also incomprehensible. Subhas and Sarat made the journey by train up to Jabalpur. He was taken in an ambulance vehicle to the site of the venue. A rumour had been spread that Subhas was faking his illness. A Congress worker remarked," Please check if he has onions in his armpits to raise his body temperature." But the rumour was scotched when people saw him on a stretcher on the chariot driven by 52 horses. His large sized photograph was erected on the chariot as Subhas was not visible to most people. He was brought on the dias again on the stretcher. Sarat Bose read his presidential address that was very short as compared to his address at Haripura.

Gandhi Ji had gone to Rajkot in connection with launching a campaign for securing democratic rights for the people of that State. He had been invited by U.N.Dhebar who later became Congress President in 1950s. The presidential address of Subhas made three important points.

1. That the Congress party should give an ultimatum to the British government both in England and India to grant complete independence

to India failing which Congress should snap all ties with the Raj and start Civil Disobedience movement to redeem the pledge made during the Lahore session in 1929.

2. He anticipated war between England and Germany during next six months and England's position would be quite vulnerable during the war without the support of Indian people and accordingly England would be constrained to have a compromise with Congress on the issue of granting independence to India. So this was the most opportune time to start the Satyagraha and subdue the Raj.

3. Congress should also reach out to the people of the 565 princely States and make a common cause with them to start the campaign for securing their democratic rights.

The presidential address of Subhas gave very tall orders to the Congress party. The Congress could not follow these dictates at this stage. Congress had already formed ministries in 8 provinces under the provisions of 1935 Act and these were working very satisfactorily to improve the lot of the people. So people were in no mood to fight against the government. Secondly, there was no provocation of any kind from the government. So giving ultimatum to the British government at that moment, to say the least, was thoroughly unwise. Also Subhash should have at least consulted Nehru, Jaiparkash and Gandhi Ji before presenting this kind of address. Therefore Jaiparkash Narain and his socialist group were genuinely hurt to hear that address. Nobody could feel the pulse of the people better than Gandhi Ji and he had already indicated to Subhas that people were not mentally prepared for a mass movement at that stage as they were feeling as if Swaraj had already been won in 8 provinces under the Congress ministries.

Subhas was telling that he could move whole of India to join the mass movement. But he forgot that he and Sarat Bose would be first persons to be arrested and subjected to harsh conditions of jail. Therefore, they would not be given any time to make the clarion call to motivate people to go to jails. During 1932, both Subhash and Sarat were confined in cells at Seoni in Central Province that did not have proper doors and windows and both the brothers developed serious health problems. Neither Subhas nor Sarat could bear the rigorous environment of jail even for two months because of their poor health. Sarat was diabetic and Subhas had very weak lungs. Also arrest of Sarat created serious financial problems for the big family. (Sarat had eight siblings.) His wife had to request Mr. Sirker, the Law Member of Viceroy's Executive Council to release Sarat Bose and put him under house arrest. Likewise Subhash was released after a year with the condition that he would straightaway go to Europe for his treatment and he went to Vienna.

Gandhi Ji learnt many lessons from the 1932 crackdown but Subhash learnt none. He was having a very good time in Europe when Congress leaders and workers were languishing in jails. They were released after 30 months. His brother Sarat Bose remained in jail for one year but placed under house arrest for two years in his cosy home at Kurseong and was released in July 1935 at the intervention of Sir N.N.Sirkar who was the Law Member in Viceroy's Executive Council. He was mentor and friend of Sarat Bose. Still Subhash was constantly toyed with the idea that freedom could be won by a nationwide Civil Disobedience movement. Six lessons from the 1932 movement were as follows.

I. The government was feeling confident enough to suppress any movement launched by Congress within three months by resorting to repressive and coercive measures and putting one or two lac people in jails without trial for indefinite period. Probably there was no legal remedy against the draconian laws that allowed the Raj to put leaders behind bars without trial. For example, Jawaharlal Nehru wanted to go to Bombay to meet Gandhi Ji in December 1931. The Collector issued him a notice not to leave Allahbad. Nehru wrote back that he did not need his permission to go to any part of India and boarded the morning train for Bombay along with Tasaduck Sherwani who was the Congress President of U.P. Congress Committee. Both were arrested on the next station. Nehru was sentenced for two years and Sherwani for six months for this small offence. Nehru did not appeal against this order probably because there was no legal remedy.

2. The leaders were given a bit comfortable stay with facilities of library books. But the common Satyagrahis had to live under harsh conditions of jails. Most of them were thoroughly dis-spirited after a period of 18 months or so. Most workers were the sole bread earners of their families. Their families had to pass through excruciating poverty conditions. Even the family of Sarat Bose had to borrow money from relatives when he was in jail.

3. Even senior leaders started losing their mental toughness. They too had their familial worries. For example, illness of Kamla Nehru had started taking a serious turn in 1934. Nehru was allowed to meet her only five times over a period of 105 days and that too for two hours on each turn.

4. Government was not worried about any movement of Congress till it was joined and supported by Muslims and Dalits.

5. So far as granting democratic rights to Indians was concerned, British Parliament was strictly going according to the vague time frame announced by Montague in the House of Commons on 20th August 1917. The policy of granting Dominion Status to India was further clarified during the debates of House of Commons while passing the 1935 Act . It took seven years to pass the Act after the visit of Simon Commission. (For details, read Annexure I.). Everything was in the hands of British Parliament and Viceroy was only an implementing authority of the decisions taken by the Parliament.

6. Therefore snatching independence from the mighty British Empire was an Herculean task and merely going to jails in instalments was not enough to attain freedom. It required greater sacrifices. Accomplishment of this objective was possible only by strategic planning and fight which should have contained following four elements.

a) Essentially, Congress, Muslims and Dalits should be on one platform.

b) Initially start a campaign to secure the democratic rights for the people in 565 States. Only then, freedom movement would become nationwide in true sense of the word.

c) Be prepared for a stay of 5 to 7 years in jail at a stretch like Nelson Mandela and do not come out of jails even if released till independence was secured.

d) Seek the help of American President and leaders of Labour Party for the cause of complete independence.

Freedom could not be won or snatched till the aforesaid four pronged strategy was formulated and people of India were motivated

enough to make the necessary sacrifices. Therefore Subhas was simply talking in the air if he believed that freedom could be won by going to jail for two years or so. People were ready to go to jail but not for a sustained period of 5 to 10 years at a stretch. Jawaharlal Nehru was also impatient along with Subhash for complete independence in the three consecutive Congress sessions of 1927, 1928 and 1929 but did nothing to back up the determination. Bycott of Simon Commission., Salt Satyagraha and hasty Civil Disobedience movement of 1932 simply delayed the passage of 1935 Act.

Gandhians were genuinely worried that Congress Party might be hijacked by leftists and radicals. Some groups like the one headed by M.N.Roy (leader of League of Radical Congressmen) were more leftist than Subhas. They wanted to finish Gandhism and what it stood for in the Congress. M.N. Roy wrote to Subhash," The Congress must be given a new leadership, entirely free from the principles of Gandhism which untill now determined Congress politics. Gandhian principles cannot be reconciled with honest anti-imperialist politics. The new leadership should have the courage and conviction of acting independently even of the wishes of Gandhi Ji when these run counter to the objective revolutionary urge of the movement." The Socialists (CSP), CPI, Royists, Kisan Sabha and some unorganised groups had solidly voted for Subhas in the presidential election. So they were worried that Working Committee would be dominated by leftists who would try to decimate Gandhian philosophy and approach. But Bose had genuine respect for Gandhi Ji and Jawaharlal Nehru. He had both criticised and praised Gandhi Ji in his autobiography. He was not a leftist to the extreme but a socialist as well. Rather, he confused people by calling himself both socialist and leftist in the same breath. So Gandhians were more worried about the attempts of finishing Gandhism (Gandhi Mukt Congress) than rise of leftism and accordingly planned a counter strategy to defeat the nefarious designs of leftists. Therefore, Gobind Ballabh Pant moved the controversial resolution highlighting two facts.

I. Congress should continue its future programmes under the guidance and leadership of Gandhi Ji with no break of Gandhian principles which have stood the test of time.

2. Gandhi Ji alone can lead the Congress and the country to victory under the existing circumstances and request the President to constitute the Working Committee in accordance with the wishes of Gandhi Ji.

Basically the resolution put fetters on the President to constitute a CWC(Congress working committee) of his choice. Theoretically, it was an undemocratic act. But Congress was moving ahead by conventions and one fundamental or cardinal convention was to treat Gandhi Ji as the helmsman of the party and take every important decision according to his wishes and consent. So resolution of Pant was to bind the President with that convention. Subhas and Sarat did not speak to counter the resolution. Others spoke and suggested some amendments and one suggestion was to postpone the debate in view of serious health status of Subhas. But Gandhians would have none of it. Supporting his resolution, Pant said," Wherever nations have progressed, they have done so under the leadership of one man. Germany has relied on Her Hitler. Similarly, Italy has risen because of Mussolini. It was Lenin that raised Russia. We have Gandhi Ji with us. Then why should we not reap the full advantage of that factor?" Raja Ji said," Narmada is a very deep and wide river and we cannot trust a leaky boat to cross the river." Jawaharlal Nehru maintained that national unity took priority and Gandhi Ji was the leader of that unity of nationalists. Jaiparkash Narain was hurt by the issuance of a time bound ultimatum to the Empire. He also knew that only Gandhi Ji could lead the nation to independence as people took part in Civil Disobedience movements in large numbers only because of his leadership and nobody else had the moral strength to launch a separate movement as widespread as Gandhi Ji could do. Therefore, leadership of Gandhi Ji was indispensable to attain Purna Swaraj whatever might be the flaws in his approach. Accordingly Socialist group led by JP abstained from voting. There was also division in leftist groups. Finally all the amendments failed by 218 votes to 135.

However, Gandhians committed an unforgivable sin by not showing due courtesy to ailing Subhash lying on a stretcher on the dias. They should have enquired about his health and postponed the movement of the resolution. Their grouse was against Subhash but not against his elder brother Sarat. They could have talked to him and decided about the further proceedings of the session. This step would have mellowed both the brothers and all bitterness would have gone there and then. But they miserably failed to behave like seniors or Gandhians. On the other hand, the scene created at the venue was reminiscent of heckling of Lokmanya Tilak in the 1907 session of Congress at Surat. Likewise, the unforgivable act of Subhas was not to apologise before the seniors for his undeserving and disparaging remarks made against them in his autobiography. Subhash was only 42 and he had always been looking above the shoulders of men of the calibre of Sardar Patel, Raja Ji and Rajendra Prasad. Gandhi Ji was not present in the session but Nehru could play the role of an arbiter. But Gandhi Ji also did not condemn the behaviour of his disciples. Non-conformist attitude, hasty approach, negligence of personal health care and thinking that he was always right stunted his political growth. It would have been better had he made Sarat Bose his political Guru after the death of C.R. Das in 1925 and move strictly under his sagacious guidance. Disgusted with the behaviour of seniors and division among leftists, Subhash left Tripuri for a place called Jamadoba near Dhanbad for treatment, rest, convalescence and rumination.

Subhash remained at Jamadoba for six weeks. He was nursing a grudge against the Gandhians for their uncouth behaviour and Pant resolution. He was also accusing Socialists and half leftists for deserting him at the right moment. They had voted for him solidly during his election. Now he wrote a 27 page letter to Jawaharlal Nehru.The letter was full of nasty, blunt, rude and bitter comments. His main grouse was that he did not support him wholeheartedly in the entire episode and remained sitting at the fence. He called him soft spoken apologist. He wrote:

" Ever since I came out of internment in 1937, I have been treating you with utmost regard and consideration both in private and public life. I have looked upon you as politically an elder brother and leader and have often sought your advice. When you came back from Europe last year, I went to Allahbad to ask you what lead you will provide....But your policy has always been to ride on two horses."

Nehru responded to the 27 page letter of Subhas in just two pages but it contained harsh and hard truth but it was not spiteful in content. Nehru told Subhas that he was definitely against his re-election against the wishes of Gandhi Ji because of following ten reasons.

I. He could not have a break with Gandhi Ji.

2. Leftist wing of Congress was not capable of carrying an independent freedom movement as an alternative to Gandhian movement.

3. The election simply was bound to cause a serious rift in the party and accentuate an unnecessary right vs left debate. Senior leaders were more Gandhians than rightists.

4. Subhas was under the influence of adventurist elements.

5. Views of Subhas on fascist forces were diametrically opposite to the views of the Gandhians.

6. Subhas did not stand for a pragmatic and definite program and his leftism was vague in expression. It only consisted of high sounding slogans. (Till now, Subhas had not been at the vanguard of an individual Satyagraha like Sardar Patel or farmers agitation launched by Nehru. He had been only delivering speeches so far.)

7. Organisational and secretariate work of Congress declined during his term.

8. Some of his actions made him realise that it would be difficult to work with him.

9. His comments about seniors were misplaced, amateurish and uncalled for. Also Subhash was going against the old convention of electing the President unanimously through consensus.

10. Gandhi Ji was justified in his choice of Dr. Kalam Azad to preside over the next session to blunt the accusation of Jinnha to call the Congress a Hindu organisation. Subhash forgot that it was Gandhi Ji who bluntly overruled the opposition of Sardar Patel and insisted for Subhash to be the next President for the year 1938. Subhash had sacrificed his ICS for the cause of independence. Sacrificing his claim for the sake of unity in Congress was not difficult for him. He could be compensated for a seat in the new CWC.

As a matter of fact, to cast aspersions on persons of the capability of Sardar Patel, Raja Ji and Rajendra Prasad was like throwing dust towards the sun though their behaviour at Tripuri session later on was unforgivable. The main fault of Nehru was that he did not play an assertive role to bring the two warring groups together and he could do it without much difficulty. All it required was to make Subhas apologise for making disparaging remarks against the seniors in his book and constitute the new Working Committee in consultation with Sardar Patel who was the main bete noir of Subhas. Comments in the autobiography caused the real bone of contention. Subhash was only 42 and Sardar was 64 and a father figure for him. Civility required that he should have personally gone to him and tender apology for his past mistakes. Jawaharlal was dead right in his assessment of Subhas. But still he loved him and wrote to Gandhi Ji in April 1939.

" Subhash has numerous failings but he is susceptible to a friendly approach. I am sure that if you make up your mind to do so, you can find a way out. I think now that you should accept Subhash as President. To push him out seems to me to be an exceedingly wrong step. As for the Working Committee, it is for you to decide.

After writing the 27 page letter to Jawaharlal, Subhash now turned his attention towards Gandhi Ji. He wrote five letters between 10th March and 25th April. All the letters were written in a very respectful and condescending language. He implored Gandhi Ji to help him constitute a fairly representative Working Committee that should be acceptable to all and end the bickerings, distrust and bitterness once for and all. He wished that baggage of the past be thrown and the party should work in a new sprit of co-operation and accomodation. But strangely Gandhi Ji replied in a very evasive and hedging manner all the times. Initially Sarat Bose wrote a very hurtful letter to Gandhi Ji complaining about what happened at Tripuri. Gandhi Ji replied to Subhas that he had no hand in Pant's resolution. But then he gave a very vague (rather mischievous) advice ," The initiative lies with you. I do not know how fit you are to attend to the national work. If you are not, then you should adopt the only constitutional course open to you." The hint was towards resignation. Gandhi Ji had already known what had happened at Tripuri. The resolution itself was not so hurtful as the height of discourteous, uncouth, uncalled for and unbecoming behaviour of Pant and others. Gandhi Ji should have rebuked Pant and others for their odd and brazen behaviour which he did not.

Bose replied immediately, " The initiative for uniting the party lies with you and not with me.The main problem appears to me as to whether both parties can forget the past and work together. That entirely depends on you. By taking a non-partisan attitude, you can save Congress and restore national unity." Two days later, Subhas wrote again," There is a wide gulf between the two factions and only you can bridge it. It is in your hands to save the party and the country. People who are opposed to Sardar Patel and his group, still have confidence in you and believe that you can have a dispassionate and non-partisan view of things. To them, you are a national figure and above all groupism and you can, therefore, restore unity between warring groups." Indirectly, Subhash was suggesting that Gandhi was not taking a neutral stand.

At the end of March, as a diversionary measure, Subhash wrote to Gandhi Ji what he had said in his presidential address ," Now you should take a more adversarial stand against the Raj and give an ultimatum to the government to press for Purna Swaraj failing which all ministries should resign and Congress party to launch a nationwide Satyagraha. I am confident if we take up this courageous step, we shall get Swaraj in 18 months." This claim of Subhash to bring Swaraj in 18 months was as preposterous as the claim made by Gandhi Ji in 1921 to bring Swaraj within a year. Gandhi Ji refused to take the bait and told him that he could not do so because he was smelling violence in the air.

Meanwhile, Gurudev Tagore sent a telegram to Gandhi Ji," At the last Congress session, some rude hands have deeply hurt Bengal with ungracious persistence. Please apply balm to the wound with your kind hands and prevent it from festering."

In April, Bose wrote another mischevious, unwise and irritating letter to Gandhi Ji," There is a world of difference between you and your chosen lieutenants. At Tripuri, the Old Guards cleverly dropped out of picture and more cleverly pitted me against you." Gandhi Ji urgently replied ," Your suspicions are unjustified. Nobody pitted me against you. You should not think that somebody in the Old Guards is your personal enemy."

Inspite of repeated requests of Bose, Gandhi Ji refused to help Subhas to constitute the Working Committee though it was his duty to do so in view of the Pant resolution. He evaded his responsibility by saying that he could not impose his will on the President of the party and kept the pot boiling.

शेष अगले भाग में

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl (DOB 07.10.95) 25/5'3" B.Sc, M.Sc, Doing B.Ed from Punjabi University. Family settled at Mohali. Avoid Gotras: Tomar, Dhama. Cont.: 9216551398
- SM4 Jat Girl (DOB 23.01.92) 29/5'4" BBA, MBA from M. D. University Rohtak. Avoid Gotras: Pawar, Ahlawat, Kadyan. Cont.: 9990447004
- SM4 Jat Girl (DOB 92) 28/5'3" BA, BE.d, CTAT Cleared. Avoid Gotras: Khokhar, Dalal. Cont.: 9814104313
- SM4 Jat Girl Height 5'7" BSc. (IT) MBA. Father retired from Army. Avoid Gotras: Nain, Bhll, Kundu. Cont.: 8847551370, 9417435345.
- SM4 Jat Girl 25/5'2" BDS from Mulana (Ambala). Father DSP in Haryana Police. Preferred match Doctor, in Govt. Job, Land lord. Avoid Gotras: Jaglan, Kadyan, Malik. Cont.: 9416116492, 7988124110
- SM4 Jat Girl (DOB 04.12.90) 30/5'2" MCA. Working in MNC Mohali. Avoid Gotras: Gulia, Malhan, Dalal. Cont.: 9780385939, 7888733717
- SM4 Jat Girl (DOB June, 87) 23/5'2" B. Tech. (CSC). Working as Delivery Manager (Software Developer) in Chandigarh based Company with package Rs. 18 lakh PA. Father retired, mother housewife. Avoid Gotras: Jaglan, Gahlan, Kadyan. Cont.: 7837113731
- SM4 Jat Girl 29/5'7" MDS Doctor. Preferred match form Tri-city. Avoid Gotras: Narwal, Mor, Kadyan. Cont.: 8556074464
- SM4 Jat Girl 26/5'4" M. Tech (ECE) Pursuing PhD from Chandigarh. Preferred match form Tri-city. Avoid Gotras: Narwal, Mor, Kadyan. Cont.: 8556074464
- SM4 Divorced Jat Girl (DOB 20.02.85) 36/5'4" B.Sc, BEd, MSc Match. Employed as teacher on contract in Kendriya Vidyalaya. Avoid Gotras: Gill, Rathi, Goyat. Cont.: 9417216868
- SM4 Jat Girl (DOB 25.04.93) 27/5'4" MSc Nursing. Employed in Kailash Nurshing College Chandimandir. Avoid Gotras: Pilania, Malik, Singroha. Cont.: 9896813684
- SM4 Jat Girl (DOB 16.01.95) 26/5'1" B.Sc. (Hons.) Math, MSc Math, B.Ed, CTET (paper-2) qualified. Avoid Gotras: Redhu, Rana, Tanwar. Cont.: 8802421721, 9417840201
- SM4 Jat Girl (DOB 25.01.90) 30/5'8" B.A. MCM Chandigarh, MSW from K. U. Working as Medical Social Welfare Officer, U. T. Chandigarh. Father Govt. Contractor, mother housewife. Avoid Gotras: Jakhar, Sangwan, Dhankhar, Neel. Cont.: 9215349999, 9306398882
- SM4 Jat Boy (DOB 12.01.96) 25/5'9", Degree in International Marine Diver. Working as Diver in ONGC with package of Rs. 15 lakh PA. Father Sub. Inspector in Chandigarh Police, mother housewife. Single child. Family settled at Chandigarh. Avoid Gotras: Jhajhria, Bhambu, Mahla, Baloda. Cont.: 9501954042
- SM4 Jat Boy 25/5'7", B.A. Doing MBA. Working in reputed MNC at Gurgaon. Father in Chandigarh Police, mother housewife. Avoid Gotras: Antil, Dahiya, Dabas. Cont.: 8146081111. skantil5432@gmail.com
- SM4 Jat Boy 27/5'9", B.A. Working as Assistant in Haryana Govt. at Chandigarh. Family settled in Panchkula with own house. Avoid Gotras: Gahlyan, Antil, Sehrawat. Cont.: 8168563692
- SM4 Jat Boy (DOB 09.02. 94)27/5'8", B.A. Serving in Indian Army. Father Rtd. Class-II officer form Haryana Govt. Own house at Nayagaon (Mohali) and Bhiwani. Avoid Gotras: Sheoran, Sangwan, Punia. Cont.: 9988603681, 9988359360
- SM4 Jat Boy (DOB 24.11.94)26/5'11", B.Tech. in Computer Science, two year study in Canada. Job in Canada with PR. Father and mother in Govt. job at Panchkula. Avoid Gotras: Siwach, Malik, Bazad. Cont.: 9463188807.
- SM4 Jat Boy (DOB 28.10.91)29/5'10", B.Tech. from PEC Chandigarh. Working as Software Engineer in Banglore with package Rs. 13 lakh PA. Family settled in Zirakpur. Avoid Gotras: Kajla, Gawaria, Siwach, Khiyalia. Cont.: 9041149778
- SM4 Jat Boy (DOB 20.10.90) 30/5'8", B. Tech. Employed in IT company. Avoid Gotras: Malik, Khatkar. Cont.: 9463491567
- SM4 Jat Boy (DOB March 92) 28/5'9" B.S.c (Computer Science) from Punjab University. Pursuing MCA. Employed in Kurukshetra University Kurukshetra as Clerk on regular basis. Father in private job. Mother housewife. Sister married and employed in Punjab Government. Family settled in Mohali. Preferred match in Government job. Avoid Gotras: Jadge, Budhrain. Cont.: 9056787532.
- SM4 Jat Boy26/6'1"Polytechnic Electric Diploma.Working in MNC with package of Rs. 4 lakh PA. Mother retired teacher. Brother, sister well settled. Preferred tall girl in service.Avoid Gotras: Mor, Malik, Budhwar Cont.: 8295865543
- SM4 Jat Boy(DOB 26.05.94) 26/6'4" B.Tech. Mechanical Degree Auto Cat.Settled in Canada (Toronto). Father in Haryana Govt. Mother school teacher in Haryana Govt. Avoid Gotras: Sayan, Punia Cont.: 9416877531, 9417303417
- SM4 Divorcee Jat Boy (DOB11.05.81) 39/5'11"MBA (IT). Working in HCL Noida as Network Consultant. Preferred Tri-city/NCR match. Avoid Gotras: Deswal, Dahiya. Cont.: 9466629799, 9255525099
- SM4 Jat Boy(DOB17.12.95) 25/6'1" Employed as Nursing officer in ESIC Hospital, Govt. of India in U.P. with salary of Rs. 82000/- PM. Preferred BDS, BAMS or employed match. Avoid Gotras: Bhanwala, Mann, Khatkar. Cont.: 9417579207
- SM4 Jat Boy (DOB 27.04.89)31/5'10" B.Tech.in Bio-Medical Engineering. Working in a reputed Master's Medical Company with package of Rs. 16.5 lacs PA.Father businessman.Mother housewife. Avoid Gotras: Jatyan, Duhan, Dagar. Contact:9818724242
- SM4 Divorced Jat Boy (DOB 13.09.86)34/5'9" B. Tech. Electrical. Working in Nipper Centre on contract basis. Avoid Gotras: Gill, Rathi, Goyat Contact:9417216868
- SM4 Jat Boy (DOB 09.04.79) 42/6 feet. MBA, Self employed. Income in five figure. Father retired from Haryana government. Mother housewife. Own house in Panchkula. Preference Tri-city. Avoid Gotras: Dhull, Dalal, Malik. Cont.: 9417073314

टोक्यो ओलंपिक के लिये भारत के इन छह पहलवानों ने क्वालीफाई किया है जो कि सभी जाट समाज से है। जाट सभा चण्डीगढ़, पंचकूला, चौ0 छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मु एवं अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण जाट समाज के इन उभरते हुये उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इनकी शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुये इनके उज्जवल व मंगलमय भविष्य की कामना करते है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सभी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर समाज व राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे।

We Are Proud of Sandeep Dalal

Sandeep Dalal from Sector 25 Panchkula recently finished the Everest Base Camp expedition in Nepal. Everest has been in his mind since Long ago. Everest Base Camp (EBC) expedition at the height of 5364 meters and 17598 feet is a dry run for Mount Everest. The Journey starts from Kathmandu to Lukla by a Small Aircraft. Lukla is at Heights of 2850 meters and average temperature is around -2 to -5 degree Celsius. The Journey starts from here. He covered total 98-100 KM Kilometers heights in 10 days. The extreme weather begins in Lobuche and Gorak Shep around -7cel.

Last 2 days were very challenging due to extreme weather. The oxygen level was very low with -10 degree temperature. The wind speed is averagely 40-60 KM/Hrs. Due to the high altitude, he faced two sleepless nights and headache. Two People from Poland Heli rescued due to extreme weather and high altitude. Only Rice, Dal and boiled potato is available in the journey to maintain carbohydrate level. He also carried Chocolates, Biscuits and some home made stuff to maintain energy level as nothing is available from Gorak Shep to Everest Base camp (EBC).

Entire family of Jat Sabha Chandigarh, Panchkula, Ch. Chhotu Ram Sewa Sadan, Katra-Jammu and Akhil Bhartiya Shaheed Samman Sanghrash Samiti conveys good wishes and heartiest congratulations to Mr. Sandeep Dalal for his grand success and pray to Almighty GOD to bless him with sound health and sublime success in all times to come as well.

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्ड़िग के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्ड़िंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्री निवास स्थल पर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) कटरा द्वारा सरकारी खर्चे से दो महिला एवं पुरूष स्नानघर व शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और पानी के कनैक्शन के लिये भी सरकारी कोष से फंड मंजूर हो गया है और शीघ्र ही पानी की आपूर्ति का कनैक्शन चालू हो जायेगा।

जाट सभा द्वारा यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास था लेकिन कोविड़-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका और इस महामारी का जाट सभा की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला यात्री निवास भवन का निर्माण करने पर वचनबद्ध है और वर्ष 2021 में निर्माण शरू कर दिया जायेगा।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा0 जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा0 एम एस मलिक, भा0पु0से0 (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रैंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ्त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं। यात्री निवास के निर्माण के लिये श्री राम कंवर साहु सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबपुर जिला जीन्द (हरियाणा), वर्तमान निवासी मकान नं0 110 सुभाष नगर, रोहतक द्वारा 5,11,111/- तथा श्री सुखबीर सिंह नांदल, निवासी मकान नं. 426-427, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा 5,01,000 रुपये की राशि जाट सभा, चण्डीगढ को दान स्वरूप प्रदान की गई है।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो0नं0 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो0नं0 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो0नं0 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : **डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)**

सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो॰ : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो॰ : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़

फोन : 0172–2654932 2641127

Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला

फोन : 0172–2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2–बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27–ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।